

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 25, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-803-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएस., प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को दिनांक 12 से 30 दिसम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा

4761

पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ 1(बी)108-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 25-28-2016-चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 14 (अनुक्रमांक-134572) सुश्री सीमा गुप्ता (अनारक्षित वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2016 में यह लेख किया है कि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं हैं अतः गृह विभाग उनके पद को रिक्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

2. अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. 14 (अनुक्रमांक-134572) में उल्लेखित सुश्री सीमा गुप्ता (अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए)186-91-ब-2-दो.—श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस.एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पूर्व) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)85-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री संजय चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2016 को स्वयं की चिकित्सा (ईलाज) Closure of Ileostomy Surgery हेतु गुड़गांव हरियाणा जाने के लिये दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2016 तक, दस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016

फा. क्र 3(ए)03-2014-इक्कीस-ब(एक)-4070.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रामप्रकाश शरण, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संविदा पर नियुक्त सचिव, विधि द्वारा प्रस्तुत 1 माह पूर्व की सूचना संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2016 में उल्लेखित कतिपय अपरिहार्य कारण के आधार पर श्री रामप्रकाश शरण, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को समाप्त की जाती है।

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

फा. क्र 16259-1-3-2012-इक्कीस-ब (एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ब) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक व्यवहार जिले के लिये नीचे दी गई सारणी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग एवं व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय स्थापित करता है:—

सारणी

अनुक्रमांक	व्यवहार जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग	व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अलीराजपुर	3	3	3
2	अनूपपुर	6	4	6
3	अशोकनगर	5	5	9
4	बालाघाट	6	7	14
5	बड़वानी	7	5	7
6	बैतूल	8	9	11
7	भिण्ड	11	8	11
8	भोपाल	27	38	52
9	बुरहानपुर	4	5	6
10	छतरपुर	11	9	18
11	छिन्दवाड़ा	11	11	17
12	दमोह	13	4	11
13	दतिया	6	5	7
14	देवास	15	16	17
15	धार	15	12	15
16	डिंडोरी	3	3	4
17	पूर्व निमाड (खण्डवा)	5	10	11
18	गुना	8	9	11
19	ग्वालियर	31	21	31
20	हरदा	3	4	5
21	होशंगाबाद	11	8	12
22	इन्दौर	42	60	77
23	जबलपुर	35	40	58
24	झाबुआ	3	5	5
25	कटनी	10	8	12
26	मण्डला	7	5	10
27	मंदसौर	10	9	13
28	मुरैना	19	9	19
29	नरसिंहपुर	12	5	10
30	नीमच	7	7	9
31	पन्ना	4	3	6
32	रायसेन	10	8	11
33	राजगढ़	10	8	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	रतलाम	11	14	25
35	रीवा	23	11	21
36	सागर	20	15	21
37	सतना	23	12	20
38	सीहोर	9	4	13
39	सिवनी	6	7	10
40	शहडोल	6	7	11
41	शाजापुर	13	7	11
42	श्योपुर	6	3	5
43	शिवपुरी	11	10	16
44	सीधी	6	7	10
45	सिंगरौली	12	6	11
46	टीकमगढ़	9	10	12
47	उज्जैन	20	16	26
48	उमरिया	3	4	7
49	विदिशा	11	10	14
50	पश्चिम निमाड़ (मण्डलेश्वर)	14	7	14

F. No. 16259-1-3-2012-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government hereby, establishes the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class I and Civil Judges Class II in each Civil District of the State of Madhya Pradesh as per the table given below:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class I	Civil Judges Class II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alirajpur	3	3	3
2	Anuppur	6	4	6
3	Ashoknagar	5	5	9
4	Balaghat	6	7	14
5	Barwani	7	5	7
6	Bteul	8	9	11
7	Bhind	11	8	11
8	Bhopal	27	38	52
9	Burhanpur	4	5	6
10	Chhatarpur	11	9	18
11	Chhindwara	11	11	17
12	Damoh	13	4	11
13	Datia	6	5	7
14	Dewas	15	16	17
15	Dhar	15	12	15
16	Dindori	3	3	4
17	East Nimar (Khandwa)	5	10	11
18	Guna	8	9	11
19	Gwalior	31	21	31
20	Harda	3	4	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Hoshangabad	11	8	12
22	Indore	42	60	77
23	Jabalpur	35	40	58
24	Jhabua	3	5	5
25	Katni	10	8	12
26	Mandla	7	5	10
27	Mandsaur	10	9	13
28	Morena	19	9	19
29	Narsinghpur	12	5	10
30	Neemuch	7	7	9
31	Panna	4	3	6
32	Raisen	10	8	11
33	Rajgarh	10	8	13
34	Ratlam	11	14	25
35	Rewa	23	11	21
36	Sagar	20	15	21
37	Satna	23	12	20
38	Sehore	9	4	13
39	Seoni	6	7	10
40	Shahdol	6	7	11
41	Shajapur	13	7	11
42	Sheopur	6	3	5
43	Shivpuri	11	10	16
44	Sidhi	6	7	10
45	Singrauli	12	6	11
46	Tikamgarh	9	10	12
47	Ujjain	20	16	26
48	Umaria	3	4	7
49	Vidisha	11	10	14
50	West Nimar (Mandleswar)	14	7	14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016

फा. क्र. 1(बी)35-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2016 को निरस्त करते हुए, श्री सुभाष जैन, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला रतलाम को दिनांक 22 नवम्बर 2016 से 21 नवम्बर 2017 तक एक वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन नियुक्त करता है, कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है तथा 62 वर्ष की आयु अथवा 01 वर्ष का कार्यकाल जो भी पूर्व में, पूर्ण हो को आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा.

फा. क्र. 2016-2937-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप-धारा (2) को खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श श्रीमती शोभा मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जबलपुर एवं श्रीमती सुधा पण्डित, अधिवक्ता जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है.

No. 17(E)16-2003-B-(II).— In exercise of the powers conferred by the clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994), the State Government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Smt. Shobha Menon, Advocate, Jabalpur and Smt. Sudha Pandit, Advocate, Jabalpur as Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a Period of two years with effect from the date assume charge.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

फा. क्र. 4082-2016-इक्कीस-ब(दो).—विभाग के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक जिला कटनी नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त, कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया है.

2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-33-2006-ई-चार, दिनांक 8 नवम्बर 2016 के परिपालन में, राज्य शासन एतद्वारा श्री अदिति कुमार त्रिपाठी को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनयन के उक्त आदेश को निरस्त करता है.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2016 के अनुसार श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन में संचालक यथावत बने रहेंगे.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2016 से श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ-25-149-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, उत्तर अक्षांश 22° 55' 1-2" से 22° 55' 12-9" तथा 76° 53' 51-6" से 76° 54' 9-9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—सीहोर, तहसील—इछावर, वनमंडल—सीहोर, वन परिक्षेत्र—इछावर

अनु. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिंगापुरा	सिंगापुरा	निस्तार	98/2 66/4	8.280 1.220	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से वनकक्ष क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम—वनखण्ड क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 9.500

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.सी. 30/2011-बीएचओ/1233, दिनांक 4 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना घोघरा फीडर जलाशय (परियोजना का नाम) में प्रभावित 9.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 9.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक 14-अ/19(3)12-13, दिनांक 26 अक्टूबर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अपर कलेक्टर सीहोर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1658, दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ-25-149-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-149-2016-दस-3, दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 30th November 2016

No. F-25-149-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or

communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 55' 1.2" to 22° 55' 12.9" North Latitude and 76° 53' 51.6" to 76° 54' 9.9" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sehore, Tehsil-Ichhawar, Forest Division-Sehore, Forest Range—Ichhawar

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Singapura	Singapura	Nistar	98/2 66/4	8.280 1.220	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 06 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 10 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 of Protected Forest Block to Pillar No. 8 of to Compartment No. P-203. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 of Compartment No. 203 to Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block.
Total :					9.500	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPC030/2011/BHO/1233, dated 4th July 2014 and in lieu of 9.500 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Ghogra Feeder Tank (Laghu) (Name of project) of E.E. WRD Sehore (Name of user department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 9.500 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 14-A-19 (3)-12-13, dated 26th October 2012 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation
- Details of other Reasons—**

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1658 dated 31st July 2015 of Additioanl Colletor Sehore (Designation of Competent Revenue Officer) are as under.

- Individuals Rights**—There are No Individual Rights on the said land.
- Community Rights**—There are No Communities Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

अनूपपुर के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

क्र. एफ 24-01-2012-बत्तीस-1.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28(1) के अन्तर्गत जिला

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

क्र. भू-अर्जन-2016-127.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा:—

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	अवंतिपुर बड़ोदिया	नेवजखेड़ी	0.483	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर.	अरंडिया से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग निर्माण.

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बाबूलाल, धर्मसिंह, विष्णुप्रसाद, हुकमसिंह, लखनलाल, सुन्दरलाल, पिता मोतीलाल, शान्ताबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां मोतीलाल जाति खाती नि. ग्राम. अ. बड़ोदिया भूमि स्वामी.	200	-	-	0.314	-	0.114	0.114
2	हरीनारायण पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	99/1	-	-	0.271	0.088	-	0.088

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि.ग्राम भूमिस्वामी.	99/2	-	-	0.157	0.057	-	0.057
4	मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	99/3	-	-	0.157	0.057	-	0.057
5	हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	130/2 मि. 1	-	-	0.282	0.083	-	0.083
6	मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	130/2 मि. 2	-	-	0.282	0.084	-	0.084
					योग . .	0.369	0.114	0.483

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. 3220-भू-अर्जन-2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन :
(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बैहर
(ग) ग्राम—सहेजना, प. ह. नं. 11
(घ) क्षेत्रफल—0.972 हेक्टेयर

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुखमनदास वल्द मगनदास एवं अन्य 1 जाति पनका साकिन सहेजना.	72/3 में से	0.042	असिंचित	निजी भूमि
2	श्री ज्ञानदास पिता कुलपतदास जाति पनका सा. सहेजना.	70/1 में से	0.082	असिंचित	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	श्री छन्नू वल्द सुमरन जाति अहिर सा. सहेजना.	70/9 में से	0.116	असिंचित	निजी भूमि
4	श्रीमती ठगिया बाई वल्द सुमरन श्रीमती ठगिया बाई जौजे भरतलाल जाति कलार सा. सहेजना.	69/9 में से 70/11 में से	0.099 0.081 0.180	असिंचित	निजी भूमि
5	श्री फग्गूलाल वल्द टनदू साव जाति कलार सा. सहेजना.	11/5 में से	0.104	असिंचित	निजी भूमि
6	श्री होमकरण पिता चिन्तु जाति कलार सा. सहेजना.	11/3 में से	0.041	असिंचित	निजी भूमि
7	श्री सुखदेव प्रसाद, रामेश्वर, सुमदेव, सोमेश्वर राजेश प्रसाद वल्द सारदा प्रसाद, चैनबती बेवा सारदा प्रसाद वगैरह साकिन देह भूमिस्वामी.	20 में से	1.197	असिंचित	निजी भूमि
8	श्री सोहद्रा बाई पति राधेलाल जाति कलार सा. सहेजना.	13/5 में से	0.048	असिंचित	निजी भूमि
9	श्री अम्मूलाल वल्द रघ्वन जाति मरार सा. सहेजना.	15/5 में से	0.162	असिंचित	निजी भूमि
योग . .			0.972	—	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बंजर नदी परियोजना के बांध/डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3222-भू-अर्जन-2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बैहर

(ग) ग्राम—बैहर (रौंदाटोला) प. ह. नं. 17/1

(घ) क्षेत्रफल—1.841 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री छत्तरसिंह वल्द दसरू जाति गोंड अन्य 8 साकिन रौंदाटोला बैहर.	18 में से	1.371	सिंचित	निजी भूमि
2	श्री ब्रजलाल पिता नन्दराम अन्य 10 साकिन रौंदाटोला बैहर.	20 में से	0.470	सिंचित	निजी भूमि
योग . .			1.841	—	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बंजर नदी परियोजना के बांध/डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3223-भू-अर्जन-2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बैहर

(ग) ग्राम—बैहर, प. ह. नं. 17/1

(घ) क्षेत्रफल—2.385 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती सुन्नीबाई पति बृजलाल, शिवलाल पिता बृजलाल अन्य 4 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.	21/1 में से	0.411	सिंचित	निजी भूमि
2	श्री सुरेश, पितम, बुद्धराम, अन्य 2 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.	21/2 में से	0.379	सिंचित	निजी भूमि
3	श्री संतलाल पिता मलकू जाति अहिर सा. रौंदाटोला.	21/3 में से	0.524	सिंचित	निजी भूमि
4	श्री लखन पिता मलकू जाति अहीर सा. बैहर रौंदाटोला.	21/4 में से	0.435	सिंचित	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री सुरेन्द्र पिता जुगराज / रामबती पति जुगराज अन्य 6 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला	21/5 में से	0.638	सिंचित	निजी भूमि
6	श्री रामसिंह, संपत, प्रकाश पिता जंगलसिंह, चम्पीबाई पति जंगलसिंह जाति गोंड सा. बैहर रौंदाटोला.	40 में से	1.011	सिंचित	निजी भूमि
7	श्री चेताराम पिता चाहू जाति गोंड सा. बैहर रौंदाटोला	47/3 47/4	0.774 0.210 0.984	सिंचित	निजी भूमि
8	श्रीमति सरोज पति चैतराम जाति गोंड सा. बैहर रौंदाटोला	41/1/2 (45/145/2) 246/1ख	0.081 0.128 0.209	सिंचित	निजी भूमि
9	श्रीमति धानेश्वरी पति संपतसिंह जाति गोंड सा. रौंदाटोला	47/2/1 में से	0.405	सिंचित	निजी भूमि
योग . .			2.385	—	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बंजर नदी परियोजना, के बांध/डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3225-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बैहर

(ग) ग्राम—जत्ता रैयत, प. ह. नं. 21

(घ) क्षेत्रफल—0.796 हेक्टेयर

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसंपत्ति (कुंआ वृक्ष कमान आदि जिसे अर्जित की जाना है).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री छबीलाल व. चतुर्भुज जाति गोंड सा. मलाजखण्ड	15/2	5.338	असिंचित	0.352	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	श्री दुर्गा प्रसाद व. फूलचन्द जाति मरार सा. देह भूमि स्वामी	12/10	0.405	असिंचित	0.084	नहीं
3	श्री बालचन्द व. पलटन बसरह	12/11	0.405	असिंचित	0.090	नहीं
4	श्री जीवनलाल व. लक्सी जाति गोवारा सा. देह	12/12	0.547	असिंचित	0.270	नहीं
योग . . .					0.796	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बंजर नदी परियोजना के बांध/डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. 9847-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम भादवाखेडा के लिए डाउन स्ट्रीम कटाव क्षेत्र में वर्णित भूमि जिसका भूमि स्वामी क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि के अधिग्रहण अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्ट्रीम काटव से प्रभावित भूमि : ग्राम भादवाखेडा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भादवाखेडा	12.052	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.

कुल योग . . . 12.052

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्टीम कटाव से प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम : भादवाखेडा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि	
				अर्जित रकबा	कुएं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अमरसिंह, गिरधारी परसा पिता	59	0.569	0.569	—
	नाथू करणसिंह, प्रभुलाल पिता	60	1.644	1.644	—
	उदा, रामबगस, लीलाबाई पिता	61	0.443	0.443	—
	उदा, दोलीबाई पति उदा जाति	62	0.316	0.316	—
	लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.	63	2.225	2.225	—
		73	0.367	0.367	—
		योग . .	5.564	5.564	—
2	प्रेमनारायण, राधेश्याम, रामनारायण, पिता गिरधारीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	64/1	0.367	0.367	—
			योग . .	0.367	0.367
3	अमरसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भादवाखेडा	64/2	0.367	0.367	—
			योग . .	0.367	0.367
4	भंवरलाल, ईसर, रामप्रसाद, पार्वतीबाई, प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	65/1	0.344	0.344	—
		69/1	0.093	0.093	—
			योग . .	0.437	0.437
5	नारायणसिंह, गिरधारीलाल, लालसिंह शान्तिबाई, कैलाशबाई, पिता बाबरू, अयोध्याबाई पति बाबरू जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	65/2	0.345	0.345	—
			योग . .	0.345	0.345
6	रूगनाथ, घीसीबाई पिता हीरालाल जाति लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.	65/3	0.345	0.345	—
			योग . .	0.345	0.345
7	बाबूलाल, रमेश, करणसिंह, कमलाबाई, ललताबाई पिता प्यारा जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	65/4	0.345	0.345	—
		69/2	0.093	0.093	—
			योग . .	0.438	0.438

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई, नौरंगबाई, चिंताबाई पिता श्रीलाल गुलाबबाई जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	69/3	0.230	0.230	—
		योग . .	0.230	0.230	—
9	रोडजी पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	66/1 70/1 71/1 72/1	0.455 0.354 0.461 0.373	0.455 0.354 0.461 0.373	—
		योग . .	1.643	1.643	—
10	पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.	66/2 70/2 71/2 72/2	0.456 0.354 0.462 0.373	0.456 0.354 0.462 0.373	—
		योग . .	1.645	1.645	—
11	भंवरलाल, गिरधारीलाल पिता गब्बा जाति लोडा नि.ग्राम भादवाखेडा.	67 68	0.557 0.114	0.557 0.114	1 नग
		योग . .	0.671	0.671	—
		कुल योग . .	12.052	12.052	—

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2016

प्र.क्र. 9-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2014-15.— भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा, धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़

- (ग) ग्राम—गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 9.198 हेक्टेयर.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गेंदा बाई पत्नी बाबूलाल जाति राय निवासी गोपालपुर भूमि स्वामी	121/2/1	0.190
2	रामकुंवर पत्नी दामोदर, गेंदा बाई पत्नी जग्गू, शोभाराम, माहन. श्याम दुरग दुर्गा उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू जाति खंगार निवासी गोपालपुर भूमिस्वामी.	121/2/2	0.782
3	मोहन, रमेश तनय हरदास जाति खंगार निवासी बडागांव भूमिस्वामी	118	0.108
4	शोभाराम, मोहन, श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू हि. 35/85 रामकुंवर गेंदा, पुत्री सुन्तू हि. 1/12 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/2 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.	115	0.085
5	शोभाराम मोहन श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र जगदीश तनय सुन्तू 35/126 रामकुंवर गेंदा पुत्री सुन्तू हि. 7/126 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/3 हल्की बेन बेबा कनई राजू देवी धनीराम तनय कनई हि. 1/3 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.	123/1	0.360
6	दुर्जी बेबा आनंदी हरदास जगताराम तनय आनंदी नाबा. सर. माता दुरजी बेबा आनंदी हि. 1/2 कोमल तनय धनुवा 1/2 जाति राय नि. गोपालपुरा भूमिस्वामी.	123/3 141/1	0.372 0.295
7	सतीश कुमार तनय बारेलाल जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.	140 141/2	0.490 0.255
8	शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.	146 147 159 160	0.441 0.252 0.240 0.330
9	दयाराम बारेलाल शालिगराम शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.	162/1 163/2	0.475 0.646
10	दयाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी	164 165 165/339 171	0.166 0.283 0.393 0.360
11	शालिगराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.	166 176/2	0.129 0.053

(1)	(2)	(3)	(4)
12	सुरेन्द्र तनय दयाराम गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव हि. 1/2 मु. चंद्रकुंवर बेबा मधुमानसिंह, महेन्द्र सिंह तनय मधुमानसिंह जाति ठाकुर हि. 1/2 निवासी मौखरा भूमिस्वामी.	169 168 163/1 170 172	0.065 0.198 0.446 0.178 0.121
13	सुरेन्द्र तनय दयाराम, गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.	173 174	0.494 0.494
14	धनुवा तनय भगौना जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी	143	0.497
			कुल रकबा 9.198

- (2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम गोपालपुरा के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 17-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 17-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2014-15.—भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा, धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) ग्राम—डोंगरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 43.053 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रूपालाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति, ब्राह्मण निवासी बुडेरा भूमिस्वामी.	5/1 17 18 19/1 19/2 20	0.243 0.073 0.324 0.121 0.583 0.081

(1)	(2)	(3)	(4)
		21	0.036
		22	0.117
		23/2	0.267
		24	0.089
		26/2	0.085
		60/1	0.922
		61/1	0.065
		62/1	0.020
		63/1	0.214
		64/1	0.238
		78/2	0.032
			<u>3.510</u>
2	शोभाराम तनय. रामकिशोर दुबे नि. बुडेरा भूमिस्वामी	19/3	0.008
		23/1	0.024
		60/2	1.019
			<u>1.051</u>
3	मोहन तनय तिजुवा चमार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी	61/2	0.024
		62/2	0.069
		63/2	0.652
		64/2	0.171
		73	0.089
		74	0.081
		75	0.045
		76	0.045
		77	0.032
			<u>1.208</u>
4	बारेलाल तनय नथुवा चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	9	0.061
		10	0.178
		15	0.069
		16	0.198
			<u>0.506</u>
5	मौनलाल तनय पल्टुवा चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	60/6	0.500
			<u>0.500</u>
6	रमेश तनय परसमू चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	60/7	0.500
			<u>0.500</u>
7	भागवती बेवा कृपइया दलुवा तनय कृपइयां जाति चमार ग्राम भूमिस्वामी	60/8	0.500
			<u>0.500</u>
8	किस्सू बेवा झल्ला मल्थुआ तनय झल्ला लल्लाबाई जमना मनबाई पुत्री झल्ला चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	60/9	0.500
			<u>0.500</u>

(1)	(2)	(3)	(4)
9	कुन्जी गुपला तनय परमा भु. भन्ती बेवा परमा जम्बू नन्नी हल्कीबैन पुत्री परमा सौर 1/2 हिस्सा निवासी डिकौली जसरथ तनय रामप्रसाद मु. चत्तू बेवा रामप्रसाद लाडली श्याम पुत्री रामप्रसाद जसोदा बेवा गनेशी सुरेश बाबूलाल तनय गनेशी सौर 1/2 हिस्सा जाति सौर निवासी डिकौली भूमिस्वामी.	87/3/2 91/3/2	2.102 1.656 <hr/> 3.758
10	भुगुन्ता त. जनकिया मु. झल्लू बेवा जनकिया भुवन रामबाई पुत्री जनकिया रामचरन तनय दिब्बू काशीबाई बेवा निवासी डिकौली भूमिस्वामी	87/3/1 91/3/1	0.755 1.250 <hr/> 2.005
11	अच्छेलाल हरकिशन तनय दीना काछी ग्राम भूमिस्वामी	87/4	0.971 <hr/> 0.971
12	सल्लुआ धर्मा तनय मंजूवा जाति चमार 1/3 हिस्सा फुलिया बेवा भैयालाल झल्लू रामप्रसाद तनय भौलाल प्यारीबाई कुसुमबाई पुत्री भैयालाल चमार 1/6 हि. बैनीबाई पुत्री हल्लुवा जाति 1/4 हि. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	91/4	0.024 <hr/> 0.024
13	भुल्लू तनय हल्ला चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	91/5 105/2/2 106/3	1.011 0.685 0.825 <hr/> 2.521
14	कन्हैया तनय मिनका जाति चद्दार 1/2 हि.नि. ग्रामी सरोज पत्नी संतोष कुमार जैन नि. डिकौली भूमिस्वामी.	91/7	2.467 <hr/> 2.467
15	परसादी तयन ललऊ जाति चमार 1/2 ह.ललउ तनय गुपला जाति चमार 1/2 हि.नि. ग्राम भूमिस्वामी.	91/1 91/2 95/2/1 96/1 97/1 98/2 105/2/1 106/1	0.348 2.047 0.055 0.020 0.380 0.069 0.480 0.308 <hr/> 3.707
16	मूलचन्द्र संतू तनय बल्लुवा दुर्गी बेवा बल्लुवा राधा फूला मल्लू ना. बा. पुत्रियां बल्लुवा सर.मां दर्गी बेवा बल्लुवा चमार निवासी ग्राम हि. बराबर भूमिस्वामी.	91/9	2.023 <hr/> 2.023

(1)	(2)	(3)	(4)
17	गोकल बैजनाथ तनय रघुवा सोना जानकी नन्नीबाई पुत्री रघुवा जाति चमार हि.बरा.	91/6 92/1 95/2/2	2.019 1.000 0.321 <u>3.340</u>
18	रमपुरा बाई बेवा नन्ना जाति लोधी निवासी डिकौली भुमानी सल्ला बन्दू पुत्री नन्ना लोधी निवासी डिकौली भूमिस्वामी.	91/8	1.472 <u>1.472</u>
19	मु. शिम्बू बेवा भगवानदास राकेश मुकेश राजेश तनय भगवानदास जाति यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	106/2 114/2 398/1	2.533 0.032 0.049 <u>2.614</u>
20	वती चिटू तनय गिजू यादव 1/3 हि. रामदयाल गोकल मोहन तनय कुल्ली यादव 1/3 हि. बराबर भगवानदास कूरा त. लब्बू 1/3 हि. बराबर.	114/1 116/4	0.340 0.040 <u>0.0380</u>
21	करिया त. मकुन्दा जाति चढ़ार 3/8 हि. हिरा त. मकुन्दा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी.	106/4 114/3	0.004 0.680 <u>0.684</u>
22	करिया हिरा त. मकुन्दा कौशिया डौली पुत्री मकुन्दा जाति बुनकर नि. ग्राम हिस्सा बराबर भूमिस्वामी.	116/1	0.230 <u>0.230</u>
23	मरू तनय मल्दुवा मु. सरकारी बाई बेवा मल्थुवा चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	110/2	0.061 <u>0.061</u>
24	श्रीमती रम्बा पत्नि गोकल यादव रामदयाल मोहन गोकुल त. कुल्ली यादव 1/2 हि. लक्ष्मन त. मकुन्दी यादव 1/2 हि.	126	0.218 <u>0.218</u>
25	बलुवा त. धुन्धा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	149/5	1.469 <u>1.469</u>
26	मिनका त. हल्कुवा चढ़ार त. गनेशा जाति चढ़ार किशोरी त. दरउवा चढ़ार हि. बराबर भूमिस्वामी.	150/2	0.283 <u>0.283</u>
27	ठक्कू त. रट्टी यादव 1/3 हि. नारायण लखन तनय मत्थे यादव 2 रु. 2 हि. बराबर.	394/1	2.626 <u>2.262</u>

(1)	(2)	(3)	(4)
28	बाबू तनय दमरूवा यादव निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	157/417 402	0.016 <hr/> 0.773 <hr/> 0.789
29	धर्मा रतिराम संजू त. नथुवा जाति चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	104/7	0.700 <hr/> 0.700
30	दम्भू मोती तनय नथुवा जाति चमार निवासी भूमिस्वामी	104/8	0.700 <hr/> 0.700
31	करिया तनय घिना चमार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी	104/9	0.600 <hr/> 0.600
32	हरचरन तनय फनदू कुम्हार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी	104/12	0.500 <hr/> 0.500
33	मिनका त. हल्कुवा चढ़ार तुलसी त.गनेशा चढ़ार हिस्सा बराबर, किशोरी तनय दरउवा चढ़ार भूमिस्वामी.	104/4	0.336 <hr/> 0.336
34	बाबू त. विठल्ला कुम्हार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	104/10	0.500 <hr/> 0.500
35	पहलवान तनय पल्लुवा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	104/11	0.100 <hr/> 0.100
36	कुन्जी त. धन्नु चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	104/13	0.500 <hr/> 0.500 <hr/> 43.053

(2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम डोंगरपुर के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

प्र.क्र. 05-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 05-अ-82-भू-अर्जन-2014-15.—भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा, धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—टीकमगढ़
 (ग) ग्राम—मैरोन
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 31.968 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामसेवक, जोराबल, बीरन तनय प्रेमलाल लोधी निवासी ग्रामी	9 1/2	0.089 0.060 <u>योग : 0.149</u>
2	रामचरन तनय तुलसी लोधी	11 12 13 14 15 16 17	0.310 0.028 0.340 1.473 1.117 0.146 0.311 <u>योग : 3.725</u>
3	राजामरा, फेरन त. आशाराम हि. 1/2 लोधी सगुन वि. आशाराम मु. उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा. बिदेश त. आशाराम पालक मां सगुन वे. आशाराम हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी	39 42	0.429 0.320 <u>योग : 0.749</u>
4	हीरालाल त. सरजू लोधी निवासी ग्रामी	32/1/1 155 209 210 273	0.737 0.061 0.295 0.182 0.279 <u>योग : 1.554</u>
5	फेरन त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी	56/1 56/2/1 150/3 73/3	0.677 0.202 0.136 0.110

(1)	(2)	(3)	(4)
		173	0.081
		174	0.049
		213	0.170
		242	0.324
			योग : 1.749
6	राजाराम त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी	56/3	0.652
		150/1	0.036
			योग : 0.668
7	राजाराम फेरन त. आशाराम हि. 1/4 सगुन वि. आशाराम मु. उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा विदेश त. आशाराम सगुन वे. आशाराम हि. 1/4 हीरालाल त. सरजू लोधी हि. 1/4 जशरथ त. देवी हि. 1/8 राजाराम त. हरदास हि. 1/8 नि ग्रामी लोधी	151 241 228/1 325/242	0.053 0.016 0.174 0.032
			योग : 0.275
8	हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ त. देवी हि. 1/4 मुन्नी त. जानकारी राय हि. 1/4	152	0.210
			योग : 0.210
9	राजाराम त. हरदास हि. 1/4 त. देवी हि. 1/2 राजाराम पप्पू त. हीरालाल 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.	154	0.225
			योग : 0.668
10	भुमानी बाई पत्नी पजन धोनी जगदीश त. पजन लोधी निवासी दरगुंवा.	158 159 160 161 162	0.161 0.145 0.099 0.089 0.405
			योग : 0.899
11	जगदीश तनय पजन निवासी दरगुंवा धोबी	163 164 165 169	0.097 0.045 0.125 0.040
			योग : 0.307
12	काशीबाई पत्नी देशराज लोधी निवासी	166 170 182 186 225/1 229	0.085 0.040 0.142 0.110 0.012 0.053
			योग : 0.442

(1)	(2)	(3)	(4)
13 अच्चे, प्रेमलाल त. खुंदू मु. मनकाबाई बे. रगवर मु. वती बाई बे. रगवर करन तनय प्रेमचंद हि. 3/4 राजधर त. बारेलाल हि. 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.		167	0.098
		168	0.093
		184	0.500
			योग : 0.689
14 हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 राजाराम त. हरदास हि. 1/4 जशरथ तनय देवी हि. 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.		172	0.117
		171	0.040
			योग : 0.157
15 रामलाल त. मुन्नी हि. 2/3 बालचंद्र बारेलाल मुन्ना बब्लू तनय नन्हें भइया हि. 1/3 लोधी निवासी ग्रामी.		175	0.194
		272	0.498
		333/175	0.081
			योग : 0.773
16 मु. मनकाबाई बे. रगवर वतीबाई बे. रगवर लोधी निवासी ग्रामी		176	0.837
		217/1	0.146
		227/1	0.045
		230/2	0.026
			योग : 1.054
17 ठाकुरदास सुखदीन तनय रामचरन हि. 1/2 कोमलबाई पत्नि नन्हे भइया लोधी हि. 1/2 निवासी ग्राम.		181	0.603
		179/328	0.040
			योग : 0.643
18 लक्ष्मन जगदीश त. रामदास लोधी निवासी ग्रामी		183	0.125
		183/330	0.040
		185	0.082
		226	0.028
		231	0.057
			योग : 0.332
19 राजधर तनय बारेलाल लोधी निवासी ग्रामी		214	0.336
		218	0.211
			योग : 0.547
20 अच्चेलाल तनय खुंदू लोधी निवासी ग्रामी		215	0.299
		230/1	0.087
		243/1	0.233
			योग : 0.619
21 अच्चे प्रेमलाल त. खुंदू करन तनय प्रेमलाल हि. 3/8 राजधर त. बारेलाल हि. 1/2 मनकाबाई बेवा रगवर बतीबाई बे. रगवर हि. 1/8 लोधी निवासी ग्रामी.		216	0.020
			योग : 0.020

(1)	(2)	(3)	(4)
22	प्रेमलाल त. खुंदू लोधी निवासी ग्रामी	217/2 218/2 323/1 323/2	0.158 0.075 0.809 0.809 योग : 1.851
23	करन त. प्रेमचंद्र हि. (0.181/0.234) गिरजाबाई पं. बालचंद्र लडडूबाई पं. बारेलाल हि. (0.107/0.234) लोधी निवासी ग्रामी.	218/3 219 243/2	0.107 0.028 0.099 योग : 0.234
24	शांतिबाई पं. रामलाल हि. 1/2 कोमल रामचरन त. तुलसी हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी.	220 221 221/1	0.721 0.036 0.356 योग : 1.113
25	राजाराम त. हरदास जशरथ त. देवी हि. 1/16 हीरालाल त. सरजू हि. 1/16 राजाराम फेरन तनय आशाराम हि. 1/16 सगुन बेवा आशाराम, उमा बेवा रूपलाल, अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल, बिहारी नाबा. विदेश तनय आशाराम सर. सगुन बेवा आशाराम हि. 1/16 अच्छेलाल प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/12 मनकाबाई 1/24 राजधर तह. बारेलाल हि. 1/8 प्यारेलाल त. मटू हि. 1/8 लल्ली पुत्री सबरानी, रामचन्द्र कोमल तनय तुलसी हि. 1/8 निवासी ग्राम लोधी.	232 233	0.401 0.028 योग : 0.429
26	हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 धनीराम तनय गजाधर हि. 1/4 किरयाई त. अमना लोधी हि. 1/4	240	0.368 योग : 0.368
27	कनू त. सूरी नि. मगरा हि. 1/2 धनीराम, जगदीश त. गजा बैनीबाई बेवा गजा हि. 1/2 लोधी निवासी मगरा.	244 247	0.425 0.332 योग : 0.757
28	जमनाबाई पुत्री उददेता लोधी निवासी दरगुंवा	261/1 262/1 264/1 265/1 266/1 269/1 278/1	0.188 0.132 0.041 0.046 0.214 0.044 0.688 योग : 1.353

(1)	(2)	(3)	(4)
29	करनसींग, सोबरन, लखनलाल त. ब्रजलाल, चम्पा उर्फ रेखा राजाबेटी, पु. बृजलाल लोधी निवासी दरगुंवा.	261/2	0.188
		262/2	0.065
		264/2	0.020
		265/2	0.047
		266/2	0.405
		269/2	0.017
		278/2	0.344
		योग :	1.086
30	मुल्लन पुत्री धुंधे हि. 1/4 प्रेमलाल त. धुंधे हि. 3/4 निवासी ग्रामी	270/1	0.045
		275/1	0.241
		276/2	0.115
		योग :	0.401
31	कप्पू त. हरदास लोधी निवासी डूडाखेरा भूमिस्वामी	29/1	0.500
		योग :	0.500
32	काशी पत्नी देशराज लोधी हि. 1/2 मुलियाबाई बेबा मोती, लाडकुंवर पुत्री मोती मुन्ना उदल, छुट्टे मनोज त. मोती गडरिया हि. 1/2 भूमिस्वामी.	19/1	0.271
			योग :
33	काशीबाई पत्नि देशराज हि. 1/2 देशराज त. प्यारेलाल हि. 1/2 लोधी	58	0.200
		60	0.061
		योग :	0.261
34	गुवन्दी, कोमल, परमालाल, धनी, कुंवर त. घनश्याम सुखवती पुत्री धनश्याम मु. बिनिया बेवा घनश्याम ढीमर निवासी दरगुंवा हि. बराबर.	29/2/1	0.607
			योग :
35	जगन, नदलू तनय हल्ला रामा पुत्री हल्ला सहुदिया बाई बेवा हल्ला ढीमर निवासी दरगुंवा.	54/1	0.385
			योग :
36	जसरथ त. रामकुंवर लोधी निवासी दरगुंवा	280/1	0.040
		280/2	0.020
		280/3	0.061
		280/4	0.045
		280/5	0.076
		280/6	0.036
		287/1	0.763
		योग :	1.041
37	देशराज त. प्यारेलाल लोधी निवासी ग्रामी	29/3/1	0.715
		योग :	0.715
38	प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/2 भगवानदास त. राजधर हि. 1/2 लोधी निवासी.	287/2	0.382
			योग :
39	बबूलाल त. हीरालाल लोधी निवासी ग्रामी	32/2/1	0.820
		योग :	0.820
40	मलीदा पत्नी करन लोधी निवासी दरगुंवा हि. 1/2 राधेलाल त. दलुवा लोधी निवासी ग्रामी हि. 1/2 लोधी भूमिस्वामी.	270/2	0.146
		276/1	0.363
		योग :	0.509

(1)	(2)	(3)	(4)
41	मायाबाई पुत्री रामदीन लोधी निवासी ग्रामी	270/3 274 275/2	0.146 0.316 0.054 योग : 0.516
42	मु. उमा बेवा रूपलाल अजय तह. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल हि. 1/3 बिहारीलाल, विदेश तत्र आशाराम ना. बा. सर. माता सगुन बेबा आशाराम लोधी हि. 2/3 निवासी ग्रामी.	56/2/2	0.411 योग : 0.411
43	राजाराम कुंवरलाल त. कल्लू पाल हि. 1/6 चन्नु त. दलपा गडरिया हि. 1/6 श्रीबाई त. मोहन गडरिया हि. 1/3 निवासी ग्रामी.	21/1 44/1	0.465 0.241 योग : 0.706
44	रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 कोमल, रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 निवासी ग्रामी लोधी.	223/1	0.065 योग : 0.065
45	बालचन्द्र, बारेलाल, मुन्ना, बल्लू त. नन्हेभैया लोधी निवासी ग्रामी	27/1	0.474 योग : 0.474
46	हीरा, लक्ष्मन, त. बल्लुवा ढीमर नि. दरगुंवा पाना बाई पुत्री बल्लुवा शिम्बू बेवा बल्लुआ हि. 2/15 रामाबाई पत्नि मोहन ढीमर हि. 1/6 चिन्जाबाई पत्नि रमलू ढीमर हि. 1/6 कुईया पुत्री धर्मा ढीमर हि. 1/6 उषा पत्नि परमलाल हि. 1/6 रमलू, पप्पू, तह. गनपत पार्वती नन्नीबैन पुत्री गनपत हि. 1/6 रामलाल त. भुनिया हि. 1/30 नि. ग्रामी लोधी.	37/1 271 280/334	0.045 0.304 0.040 योग : 0.389
47	हीरा लक्ष्मन त. बल्लुवा पानाबाई पुत्री बल्लुआ शिम्बू बेवा बल्लुआ ढीमर नि. दरगुंवा हि. 4/15 मोहन परम दीनदयाल त. रामदास गौरियाबाई बेवा रामदास ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रमलू पप्पू त. गनपत पार्वती नन्नीबाई पुत्री गनपत ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रामलाल त. मुनिया लोधी हि. 1/15 नि. ग्रामी.	37/2/1	0.427 योग : 0.427
48	हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ तनय देवी हिस्सा 1/4 करन तनय प्रेमचन्द्र हिस्सा 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.	212	0.65 योग : 0.65 कुल योग : 0.427

- (2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम मैरोन के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन), जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्र. 174/स्था.निर्वा.-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति थान्दला जिला झाबुआ के कृषक एवं तुलैया हम्माल प्रतिनिधियों उप निर्वाचन जून, 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

क्र	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गणराज आचार्य	कृषक सदस्य	थान्दला
2	श्री मुना	कृषक सदस्य	ग्राम चैनपुरी, पोस्ट थान्दला
3	श्री रमेश	कृषक सदस्य	ग्राम मुंजाल, पोस्ट ते. थान्दला
4	श्रीमती मून्नी	कृषक सदस्य	ग्राम खवासा तह. थान्दला
5	श्रीमती नवली	कृषक सदस्य	ग्राम नरसिंगपुरा, पोस्ट सजेली, मालजीसाथ, ते. मेघनगर.
6	श्रीमती शैतान बाई	कृषक सदस्य	ग्राम इटावा, पोस्ट मोरझरी, विकासखंड मेघनगर, तह. मेघनगर.
7	पुनीबाई	कृषक सदस्य	ग्राम खटामा पोस्ट कचलदरा, तेह. मेघनगर
8	श्री कानजी देवल	तुलैया हम्माल	ग्राम आमलीफलिया, पोस्ट उदयगढ़ तह. मेघनगर.

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.).

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आ.-श्रीजी-2016-17-541.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लिमि. सोहागपुर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	105	5577.46
2	बैतूल/आमला	फैक्ट्री गेट	33	1582.14
3	बैतूल/मुलताई	फैक्ट्री गेट	37	406.80
4	बैतूल/आठनेर	फैक्ट्री गेट	7	32.72
योग . .			182	7599.12

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा.लि., सोहागपुर, जिला बैतूल (म. प्र.)
 बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट, सत्र 2016-17
 तहसील बैतूल के ग्राम की सूची (0 से 15 कि. मी. की दूरी के गांव)
 (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. (1)	गांव का नाम (2)	पौधा (3)	पेड़ी का योग (4)	पेड़ी+पौधा योग (5)	कृषक संख्या (6)
1	सोहागपुर	47.27	196.91	244.18	179
2	रतनपुर	33.45	133.15	166.60	106
3	जूनावानी	0.00	3.15	3.15	4
4	बुण्डाला	15.16	58.59	73.75	58
6	बाजपुर	18.72	124.42	143.14	85
7	चकोरा	12.1	47.31	59.41	34
8	आरूल	53.93	240.55	294.48	141
9	अनकावाड़ी	6.97	47.85	54.82	22
10	सापना	6.7	37.83	44.53	21
11	परतापूर	4.35	21.02	25.37	17
12	साईखंडारा	2.05	13.49	15.54	10
13	खापा	0	13.38	13.38	14
14	मदानीढाना	0.44	4.80	5.24	6
15	मिलानपूर	19.08	105.52	124.60	61
16	बरसाली	24.22	76.57	100.79	66
17	जैतापुर	10.53	20.87	31.40	25
18	बागदा	13.73	47.74	61.47	34
19	भीलावाड़ी	16.8	58.98	75.78	55
20	काजी जामठी	13.08	75.47	88.55	65
21	मलकापूर	24.52	155.50	180.02	64
22	किलौद	12.12	37.78	49.90	27
23	भैसदेही	14.63	82.95	97.58	58
24	उमरी	18.51	56.66	75.17	50
25	केलापूर	9.94	49.41	59.35	38
26	खेड़ली	34.73	69.58	104.31	52
27	राठीपूर	14.02	61.16	75.18	70
28	रावणी बाड़ी	8.19	31.81	40.00	31
29	कुम्हारस्टेक	7.19	33.64	40.83	52
30	बोड़ी	7.31	65.08	72.39	53
31	सोम्मारी पेंठ	13.89	41.87	55.76	27
32	हमलापूर	10.59	62.28	72.87	40
33	खंडारा	22.59	80.26	102.85	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	बघवाड़	11.49	38.49	49.98	39
35	ग्यारसपूर	17.61	38.12	55.73	53
36	बैतूल	1.98	8.05	10.03	5
37	टिकारी	26.69	72.18	98.87	40
38	सोनाघाटी	1.02	2.25	3.27	3
39	लाखापूर	13.35	47.85	61.20	59
40	रौंदा	2.16	6.31	8.47	6
41	जावरा	34.9	74.38	109.28	80
42	ऐनखेड़ा	7.92	34.21	42.13	27
43	सोपई	0.33	9.41	9.74	13
44	सोनखेड़ी	14.45	18.97	33.42	23
45	खेड़ीकोर्ट	2.54	14.40	16.94	15
46	निमनवाड़ा	4.31	9.12	13.43	16
47	नागझिरी	0.46	7.16	7.62	13
48	अर्जनवाड़ी	0	2.85	2.85	7
49	बैतूलबाजार	11.46	72.40	83.86	59
50	सिंगनवाड़ी	43.22	138.90	182.12	65
51	चिखल्या 1	29.33	113.50	142.83	74
52	चिखल्या 2	3.16	8.93	12.09	4
53	बटामा	9.49	19.07	28.56	14
54	हनोत्या	5.13	24.74	29.87	19
55	परसोड़ी	9.99	46.53	56.52	29
56	हथनोरा	18.24	60.72	78.96	26
57	बयावाड़ी	7.98	55.23	63.21	39
58	तोहरिया	6.55	31.56	38.11	23
59	बधोती	3.27	43.94	47.21	47
60	गोंडीगौता	5.38	13.64	19.02	22
61	जगधर	5.49	37.29	42.78	32
62	थावड़ी	0	6.50	6.50	10
63	सोनारखापा	0	1.63	1.63	2
64	जूनावानी	0	3.50	3.50	4
65	चारबन	0	1.51	1.51	3
66	छाता	0	3.89	3.89	2
67	सेलगाव	6.38	7.73	14.11	9
68	वारव्ही	0.65	31.60	32.25	32
69	रेड़वा	1.34	3.37	4.71	7
70	खानापूर	0.83	15.48	16.31	13
71	मरकावाड़ी	30.88	78.27	109.15	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	जोड़क्या	5.09	8.40	13.49	11
73	सूरगाव	1.04	3.61	4.65	6
74	अमदर	2.34	25.76	28.10	11
75	सेहरा	8.73	34.60	43.33	58
76	गोराखार	0.31	0.08	0.39	1
77	कोलगाव	0.74	1.85	2.59	6
78	जामठी	13.94	35.91	49.85	31
79	उड़दन	17.89	37.06	54.95	37
80	भवानीतेढ़ा	15.04	19.82	34.86	21
81	मालीतेढ़ा	0.78	1.93	2.71	6
82	भोगीतेढ़ा	30.44	64.27	94.71	65
83	बडोरा	36.56	138.22	174.78	105
84	कोसमी	24.5	65.39	89.89	55
85	टेमनी	20.31	49.78	70.09	49
86	टिगरिया	12.39	29.08	41.47	35
87	कढ़ाई	5.63	18.31	23.94	20
88	खड़ला	0.57	9.09	9.66	8
89	नयेपाव	5.34	7.32	12.66	8
90	करजगाव	0.61	3.44	4.05	5
91	रौंढा	11.21	43.71	54.92	51
92	दनारा	16.59	97.53	114.12	70
93	भडूस	24.86	93.09	117.95	77
94	महदगाव	23.9	78.94	102.84	82
95	डहरगाव	16.63	35.47	52.10	54
96	ढोंढवाड़ा	2.02	16.21	18.23	27
97	बाबई	3.65	7.53	11.18	18
98	दभेरी	3.12	6.77	9.89	11
99	सेलगांव	0.59	6.86	7.45	6
100	सांवगा	1.89	2.66	4.55	7
101	भयावाड़ी	14.82	35.98	50.80	39
102	पांगरा	14.89	45.77	60.66	56
103	खेड़ीसावलीगढ़	3.29	17.35	20.64	16
104	भुतियाखेड़ी	0	0.68	0.68	3
105	अंबाड़ा	0	1.23	1.23	2
कुल योग		1174.50	4402.96	5577.46	3696

तहसील आमला

1	मोरडोंगरी	5.6	26.68	32.28	15
2	बोड़ना	0.7	15.10	15.80	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कन्हड़गाव	8.28	24.62	32.90	18
4	ठानीमाल	0	5.39	5.39	4
5	ठानीरैयत	2.4	4.90	7.30	4
6	मोवाड़	2.06	27.29	29.35	20
7	नीमझीरी	0	2.40	2.40	2
8	जैतपुर	1.04	7.46	8.50	8
9	नाहिया	1.1	11.51	12.61	10
10	नांदपुर	5.97	48.81	54.78	40
11	पंखा	1.09	6.36	7.45	6
12	ससुन्द्रा	11.15	36.57	47.72	58
13	देवठान	6.41	28.20	34.61	26
14	बल्लाचाल	4	24.16	28.16	23
15	बेलमंडई	0.55	1.81	2.36	5
16	अंधारिया	5.21	31.54	36.75	35
17	कोंढरखापा	57.89	55.46	113.35	66
18	खरपड़ा खेड़ी	28.74	32.38	61.12	40
19	उमरिया	42.92	42.51	85.43	37
20	कनौजिया	57.48	54.25	111.73	93
21	देवगाव	41.70	48.17	89.87	61
22	आवरिया	23.28	20.85	44.13	36
23	बोचनवाड़ी	16.60	13.36	29.96	29
24	खिड़की खुर्द	9.11	12.34	21.45	17
25	परसोड़ी	37.24	40.68	77.92	98
26	नांदीखेड़ा	25.10	21.05	46.15	30
27	लालावाड़ी	73.68	72.87	146.55	158
28	तिरमहू	20.85	13.15	34.00	48
29	तोरनवाड़ा	66.09	46.76	112.85	101
30	बोड़खी	14.37	10.32	24.69	25
31	आमला	52.63	44.94	97.57	58
32	रमली	22.43	32.32	54.75	15
33	भोपलवाड़ी	26.78	45.48	72.26	19
कुल योग		672.45	909.69	1582.14	1217

तहसील मुलताई

1	कान्हाखापा	2.17	0.00	2.17	4
2	साबड़ी	1.89	7.23	9.12	10
3	बिहरगाव	1.82	20.12	21.94	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	जामगाव	3.1	16.63	19.73	12
5	पोहर	4.8	16.55	21.35	22
6	साईखेड़ा	25.22	69.33	94.55	73
7	तावला	2.89	16.46	19.35	16
8	टेमझीरा	0.59	3.84	4.43	3
9	पौनी	3.08	3.50	6.58	10
10	देहगुड़	3.99	13.80	17.79	17
11	सोनोरी	0.48	4.12	4.60	8
12	लिहदा	0.17	1.20	1.37	7
13	गौला	0	2.51	2.51	5
14	ऐनस	0	7.43	7.43	13
15	बानूर	2.14	9.69	11.83	17
16	जम्बाड़ी	0.69	2.72	3.41	5
17	जौलखेड़ा	0.35	7.07	7.42	10
18	परमंडल	0.99	1.98	2.97	2
19	पाठाखेड़ा	3.97	10.58	14.55	11
20	वलनी	1.45	3.38	4.83	5
21	धारनी	0.85	6.95	7.80	8
22	सर्रा	8.29	23.69	31.98	23
23	नगरकोट	3.89	12.76	16.65	24
24	डिवटिया	3.43	3.64	7.07	7
25	करपा	0.60	2.02	2.62	2
26	महिलावाड़ी	1.01	5.46	6.47	8
27	चंदोरा	1.21	6.27	7.48	10
28	डहुआ	0.40	3.64	4.04	4
29	बाड़ेगांव	3.13	7.38	10.51	16
30	परसठानी	1.01	1.82	2.83	4
31	गेहूबारसा	1.21	1.61	2.82	2
32	एकलहरा	0.00	0.40	0.40	1
33	छिंदखेड़ा	0.00	0.91	0.91	1
34	डोहलन	5.46	10.92	16.38	11
35	सावंगी	0.00	3.64	3.64	5
36	धाबला	0.00	5.26	5.26	8
37	हेटी	0.80	1.21	2.01	3
	कुल योग	91.08	315.72	406.80	411

तहसील आठनेर

1	गुणखेड़ा	0.00	10.92	10.92	6
2	पांडुरना	0.00	1.01	1.01	2
3	मांडवी	0.40	1.01	1.41	2
4	बिसनुर	0.80	2.42	3.22	1
5	धनोरी	0.00	3.23	3.23	5
6	जावरा	2.02	6.87	8.89	14
7	धनोरा	0.00	4.04	4.04	3
	कुल योग	3.22	29.50	32.72	33

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. एस.-3-क्षे.आ.-ओलम-2016-17-573.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु ओलम एग्री इंडिया लिमिटेड यूनिट बड़वानी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	बड़वानी/ठीकरी	फैक्ट्री गेट	60	2794.33
2	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	10	7.05
3	बड़वानी/सेंधवा	फैक्ट्री गेट	05	4.86
4	खरगौन/कसरावद	फैक्ट्री गेट	40	1963.91
5	खरगौन/खरगौन	फैक्ट्री गेट	01	0.25
6	खरगौन/सेंगावा	फैक्ट्री गेट	02	63.35
7	खरगौन/महेश्वर	फैक्ट्री गेट	05	234.54
8	धार/धरमपुरी	फैक्ट्री गेट	44	1014.42
9	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	04	116.86
10	धार/उमरवन	फैक्ट्री गेट	33	510.82
11	धार/नालछा	फैक्ट्री गेट	01	0.50
योग . .			205	6710.64

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेगा।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

विकासखण्ड ठीकरी (जिला बड़वानी)

क्र. (1)	ग्राम (2)	हवाई दूरी कि. मी. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1	कुआ	3	181.47
2	केरवा	2	14.08
3	कपाल्याखेड़ी	3	50.76
4	घटवा	1	90.75
5	अभाली	2	97.40
6	भगवानपुरा	2	60.53
7	जरवाह	2	104.18
8	उमरदा	2	44.19
9	हतोला	13	10.97

(1)	(2)	(3)	(4)
10	सेगवाल	2	119.41
11	ठीकरी	4	206.36
12	रणगांव	5	38.40
13	खुरमपुरा	5	5.44
14	मदरान्या	9	5.47
15	रेहड़कोट	11	0.22
16	कुंडिया	2	0.30
17	बांदरकच्छ	13	5.60
18	ब्राम्हणगांव	6	109.06
19	लखनगांव	9	14.42
20	अजंदी	5	10.25
21	देवला	6	25.48
22	रसवाडेब	10	15.30
23	मारूचिचली	13	93.73
24	चेनपुरा	11	56.49
25	गवला	11	61.04
26	कुंदामाल	6	0.56
27	ननगांव	5	26.87
28	दवाना	5	78.39
29	विश्वनाथखेड़ा	8	84.63
30	बलगांव	5	3.30
31	कालापानी	4	0.39
32	टिटगारिया	7	53.64
33	दाबड़	5	42.33
34	सेमल्दा डेब	12	9.90
35	गोलाटा	28	17.19
36	चकेरी	27	16.40
37	बावडिया	17	29.32
38	फत्यापुर	19	6.41
39	किरमोही	19	46.43
40	अंजड़	29	145.53
41	मोहीपुरा	24	107.51
42	दतवाड़ा	28	138.02
43	मंडवाड़ा	22	42.28
44	पिलल्याडेब	17	24.74
45	लोहारा	16	61.50
46	केसरपुरा	22	49.03
47	नलवाय	13	19.36

(1)	(2)	(3)	(4)
48	तलवाड़ाडेब	14	67.01
49	पान्या	22	7.94
50	रणगांवडेब	29	16.18
51	उचावद	17	48.19
52	पिछोला	19	0.16
53	बिलवाडेब	18	0.42
54	मेहगांव डेब	11	28.83
55	हरीबड़	13	0.19
56	छापरी	17	4.70
57	सुराना	27	4.90
58	सजवाई	23	3.67
59	आवली	33	53.11
60	छोटा बडदा	31	134.40
योग			2794.33

विकासखण्ड राजपुर (जिला बड़वानी)

क्र. (1)	ग्राम (2)	हवाई दूरी कि. मी. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1	ओझर	32	0.20
2	रणगांवरोड	29	0.23
3	नागलवाड़ी	33	0.18
4	आगलगांव	24	0.16
5	सनगांव	17	0.24
6	सिनगुन	17	0.24
7	चितावल	18	1.60
8	मंदिल	26	2.70
9	जलखेड़ा	18	0.60
10	सुराना	22	0.90
योग			22.80

विकासखण्ड सैंधवा (जिला बड़वानी)

क्र. (1)	ग्राम (2)	हवाई दूरी कि. मी. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1	पिसनावल	45	3.89
2	वरला	72	0.25
3	बलवाड़ी	69	0.19
4	दुगाणी	68	0.30
5	खारिया	65	0.23
योग			4.86

(1)	(2)	(3)	(4)
विकासखण्ड कसरावद (जिला खरगौन)			
क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि. मी.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	निमरानी	10	31.81
2	हतोला	13	7.75
3	जरोली	5	31.32
4	चिवली	6	166.51
5	भोईन्दा	5	243.62
6	कठोरा	7	49.91
7	घाटबेडिया	7	0.66
8	पथोरा	16	0.26
9	बलगांव	16	29.55
10	बलखड	14	0.18
11	अहिर धामनोद	9	0.25
12	खलटाका	10	65.19
13	खलबुजुर्ग	10	4.73
14	मलतार	12	12.41
15	मालपुरा	5	0.20
16	जलखा	17	0.22
17	अकबरपुर	17	0.26
18	रेगवां	16	2.16
19	सत्राटी	6	11.40
20	पानवा	15	3.75
21	नगावां	8	1.14
22	मगरखेडी	8	5.21
23	खड़कवानी	9	1.79
24	पिपलझोपा	8	2.21
25	डाबरी	12	4.75
26	कसरावद	25	154.98
27	सायता	23	112.17
28	टिगरीगांव	30	28.30
29	मोगावा	27	101.80
30	माखड़खेड़ा	27	189.14
31	अमलाथा	32	269.01
32	बड़गांव	29	61.80
33	भीलगांव	22	59.80
34	बोथु	23	94.00
35	दोगावां	26	6.50

(1)	(2)	(3)	(4)
36	साटकुर	17	27.34
37	कठोरा	28	65.66
38	बालसुमुद	18	96.12
39	साडली	21	6.25
40	करोदिया	24	13.80
योग			1963.91

विकासखण्ड-खरगोन (जिला खरगोन)

1	बगवां	16	0.25
योग			0.25

विकासखण्ड-सेगावां (जिला खरगोन)

1	डोंगरगांव	21	1.05
2	डेहरी	29	62.30
योग			63.35

विकासखण्ड-महेश्वर (जिला खरगोन)

1	बड़वी	25	15.05
2	खराड़ी	24	67.18
3	जलकोटा	19	124.61
4	इटावदी	28	16.20
5	मातभुर	27	11.50
योग			234.54

विकासखण्ड—धरमपुरी (जिला धार)

1	खलघाट	15	104.23
2	सुन्देल	15	108.11
3	बगड़ीपुरा	13	45.45
4	सुलगांव	10	43.24
5	हतनावर	9	111.94
6	बगाड़ी	12	23.89
7	खतड़गांव	16	61.68
8	पेड़वी	12	1.15
9	खुजावा	10	24.17
10	धामनोद	20	63.10
11	पिपल्दागढ़ी	11	50.70
12	निमोला	11	57.76

(1)	(2)	(3)	(4)
13	मोरगढ़ी	16	59.22
14	साला	13	25.58
15	लुन्हेरा	12	44.52
16	बेगंदा	20	57.70
17	धरमपुरी	10	26.22
18	भोगावां	10	0.26
19	पटलावद	17	19.14
20	बलवाड़ा	17	4.48
21	धेगदा	11	12.55
22	पगारा	14	0.21
23	पलासिया	21	3.21
24	रामपुर	12	0.24
25	फत्यापुर	11	3.20
26	देवागां	12	5.84
27	खारपुरा	12	14.55
28	डोगरी	13	0.45
29	डहीवर	24	2.30
30	एकलरा	10	0.20
31	छोटी निमरानी	13	0.19
32	चंदावड़	14	19.90
33	बिखरोन	15	1.28
34	गुलझरा	20	2.20
35	पुनर्वास	13	0.15
36	मुण्डला	14	9.27
37	गुलाटी	10	1.76
38	भाटपुरा	17	0.36
39	डोंगरगांव	14	0.25
40	मेहगांव	18	0.20
41	गुजरी	23	0.20
42	पन्थान्या	18	2.44
43	डोल	18	0.72
44	बयड़ीपुरा	16	0.21
	योग		1014.42

विकासखण्ड—उमरबन

1	रतवा	20	26.06
2	देवलरा	13	54.50
3	कोठड़ा	13	104.83
4	टवलई	13	8.60
5	गोगावां	11	31.66
6	पटवार	19	0.70
7	छोटी टवलई	13	34.54
8	कुवाली	23	22.54
9	जलखेड़ा	22	41.02
10	ठनगांव	16	3.46
11	डेडगांव	14	2.49
12	बाकानेर	21	9.50

(1)	(2)	(3)	(4)
13	कुंडियापुरा	18	4.14
14	राजपुरा	19	28.91
15	झिरवी	19	10.54
16	अमलाथा	16	18.67
17	सरसगांव	15	11.87
18	अहीरवास	15	2.78
19	कालीबावड़ी	16	0.30
20	प्रतापपुर	18	1.07
21	मोद कानापुर	12	3.51
22	दाभड़	15	3.82
23	महापुरा	14	6.19
24	मलनगांव	21	48.89
25	मिर्जापुर	21	17.40
26	बालीपुर	15	1.62
27	रंधा	22	1.31
28	कछादड़	22	0.68
29	छितरी	23	1.56
30	किरखेड़ा	26	0.60
31	श्यामजीपुरा	21	2.99
32	कल्याणपुरा	16	2.31
33	दगड़पुरा	15	1.76
योग			510.82
विकासखण्ड—मनावर (जिला धार)			
1	बड़ा बड़दा	24	97.89
2	अहमदपुरा	20	0.25
3	जाटपुर	20	15.80
4	अजंदामान	23	2.92
योग			116.86
विकासखण्ड—नालछा (जिला धार)			
1	नालछा	25	0.50
योग			0.50

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

आदेश

क्र. एफ-1-2-16-रा.स.-यू.ए.-1-1381.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, एतद्वारा प्रो. (डॉ.) लवली शर्मा, प्रोफेसर, संगीत विभाग दयालबाग, विश्वविद्यालय, आगरा (उ. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 नवम्बर 2016

रा. प्र. क्र.-01-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत अमरवाड़ा-घोघरी-उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अमरवाड़ा-घोघरी-उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बहेरिया. प.ह.नं.-21, ब.न.-39, रा.नि.मं.- अमरवाड़ा.	भाना बाई विधवा सिपत, राजेन्द्र, राजकुमार पिता सिपत, तुलसाबाई पिता सिपत, श्यामकली विधवा सहताप, गंगाराज पिता सहताप परधान, अनीता, सुनीता, ललिता, कुन्ती पिता सहताप, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	223/2	0.400	अमरवाड़ा-घोघरी-उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . . .					0.400	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र.-01-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-छिन्दीकामथ, प.ह.नं.-21/35, ब.न.-180, रा.नि.मं.-दमुआ, तहसील-जुन्नारदेव.	छोटेलाल पिता भूरा गोली, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	440/2	0.029	नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए.जी.आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					<u>0.029</u>	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-01-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-हिवरी, ब.न.-418, प.ह.नं.-33, रा.नि.मं.-सौंसर.	शांताबाई पति गंभीरदास कोष्टी, निवासी-लोधीखेड़ा, भूमि स्वामी ग्राम-हिवरी.	168	0.111	नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए.जी.आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					<u>0.111</u>	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र.-02-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-बीजागोरा, प.ह.नं.-07, ब.नं.-396, रा.नि.मं.-सावरी, तहसील-मोहखेड़.	1. लालजी पिता बाबू गौली, निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 2. गौरीबाई, वि. भैयालाल, रुपराव, रुपसिंह, रायसिंह, शेरसिंह पुत्रगण भैयालाल एवं चम्पा, गुम्पा, पुत्रियां, भैयालाल गौली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी. 3. भिवरी वि. भियाजी सरेश, गणेश, दिनेश, राजेश, पुत्रगण, भियाजी, कौतिका, जयवंती, कविता पुत्रियां भियाजी गौली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	49/2 49/3	0.005 0.005	नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				49/4	0.005	
कुल योग . .					0.015	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र.-17-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-कपरवाडी, प.ह.नं.-25, ब.न.-43, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1.	भोजे, गोंदे, गंगाप्रसाद, पिता श्री त्रिलोकचन्द, अकली वि. त्रिलोकचन्द, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	3	0.039	नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.039	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. 10260-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-सुरनादेही-रैयत रकबा ब. नं.-478, प.ह.नं.-63, रा.नि.मं.-दमुआ,	01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 10261-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-कटंगी ब. नं.-173, प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा।	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10262-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-रोराढेकनी ब. नं.-175, प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा।	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10263-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-सेल्टिया ब. नं.-142, प.ह.नं.-64, रा.नि.म.-दमुआ,	रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा।	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10264-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-घरेटिया, ब. नं.-142, प.ह.नं.-64, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10265-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बूचनवाडी, ब. नं.-408, प.ह.नं.-63, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10266-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन								
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बिछुआकला, ब. नं.-308, प.ह.नं.-63, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 89.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा।	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।						
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10267-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-पीपलावाड़ी, ब. नं.-177, प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10268-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्रावधान की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-चिखलार, ब. नं.-163, प.ह.नं.-64, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 10269-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) छिन्दवाड़ा	(2) जुन्नारदेव	(3) ग्राम-सोहागी, ब. नं.-594, प.ह.नं.-61, रा.नि.मं.-दमुआ,	(4) रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10269-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-सोहागी, ब. नं.-594, प.ह.नं.-61, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	सेल्टिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10270-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-रोराढेकनी, ब. नं.-175, प.ह.नं.-66, रा.नि.म.-दमुआ.	रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित रा.नि.मं.-दमुआ, प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10271-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-आंकिया, ब. नं.-11, प.ह.नं.-72, रा.नि.मं.-दमुआ, तहसील-जुन्नारदेव.	रकबा 39.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10272-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बेलगांव, ब. नं.-410, प.ह.नं.-74, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10273-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-कोरपानीकला, ब. नं.-80, प.ह.नं.-72, रा.नि.मं.-दमुआ,	रकबा 52.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10274-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-खैरीकनेरी (खिड़कीकनेरी) ब.नं.-102, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-दमुआ.	रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 10275-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-घानाउमरी, ब. नं.-144, प.ह.नं.-68, रा.नि.मं.-दमुआ.	रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.	खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10276-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-चुरका, ब. नं.-90, प.ह.नं.-57, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 47.310 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10277-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बंधानी, ब. नं.-188, प.ह.नं.-56, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 20.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10278-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-दुलारा, ब. नं.-130, प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10279-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-पेटदेवरी, ब. नं.-178, प.ह.नं.-57, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10280-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-खिरेटी, ब. नं.-48, प.ह.नं.-43, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 03.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 10281-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-केकड़ा, ब. नं.-26, प.ह.नं.-69, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा. तहसील-अमरवाड़ा.	रकबा 58.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	केकड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10282-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31-1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बड़ेला, ब. नं.-186, प.ह.नं.-44, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा, तहसील-अमरवाड़ा.	रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2518-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बगहिया 363
(घ) क्षेत्रफल—1.144 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
16	0.090
15	0.113
14	0.015
13	0.062
12	0.014
11	0.227
10	0.188
9	0.061
8	0.075
6	0.079
5	0.077
3	0.076
2	0.055
1	0.012

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.144

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000
अ + ब का योग . . . 1.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2520-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—रेहड़ी 499
(घ) क्षेत्रफल—1.536 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
548	0.008
546	0.318
547	0.134
545	0.185
509	0.154
507	0.268
303	0.112
260	0.019
261	0.010
259	0.070
258	0.010
255	0.049
256	0.027
544	0.172

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.536

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000
अ + ब का योग . . . 1.536

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
62	0.690
143	0.314
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.460
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
184	0.217
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.217
अ + ब का योग . . .	2.677

पत्र क्र. 2522-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—पलिया त्रिवेणी सिंह-594
(घ) क्षेत्रफल—2.677 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
336	0.100
335	0.048
334	0.065
329	0.013
330	0.054
323	0.006
324	0.089
325	0.008
93	0.032
94	0.019
95	0.038
91	0.001
84	0.079
83	0.005
82	0.141
76	0.006
96	0.001
75	0.113
147	0.638

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2524-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—कोर्लेया-107
(घ) क्षेत्रफल—0.618 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
227	0.095
196	0.053
201	0.060
202	0.010
203	0.003
204	0.002
193	0.061
192	0.005
205	0.008

(1)	(2)
191	0.003
200	0.001
199	0.023
197	0.041
198	0.003
195	0.006
223	0.062
234	0.145
188	0.003
187	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.586</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

228	0.010
222	0.022

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.032</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.618</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2526-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बरहदी 420
(घ) क्षेत्रफल—0.145 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

358	0.028
357	0.003

(1)	(2)
360	0.020
361	0.090
356	0.002
337	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.145</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.145</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2528-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रोर 562
(घ) क्षेत्रफल—0.063 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

53	0.063
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.063</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		(1)	(2)
		684	0.023
		664	0.149
		663	0.014
पत्र क्र. 2530-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-		665	0.156
		666	0.070
		667	0.025
		668	0.018
		680	0.053
		679	0.011
		678	0.076
		677	0.036
अनुसूची		474	0.101
(1) भूमि का वर्णन—		473	0.010
(क) जिला—रीवा		476	0.021
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान		475	0.147
(ग) ग्राम—रौरा 563		485	0.210
(घ) क्षेत्रफल—5.640 हेक्टेयर.		480	0.002
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	436	0.058
(1)	(2)	439	0.014
	अ-निजी पट्टे की भूमि	438	0.095
1465	0.015	440	0.002
1461	0.098	433	0.358
1462	0.033	432	0.012
1459	0.130	364	0.030
1458	0.071	426	0.013
1457	0.048	428	0.148
1456	0.116	429	0.280
1453	0.013	427	0.001
241	0.109	406	0.036
243	0.169	407	0.193
245	0.221	408	0.152
246	0.013	411	0.018
244	0.011	405	0.006
721	0.215	410	0.005
722	0.021	394	0.096
719	0.036	396	0.006
723	0.113	395	0.074
718	0.140	387	0.077
704	0.032	388	0.020
715	0.047	389	0.048
705	0.056	385	0.115
708	0.032	384	0.008
709	0.082	383	0.090
		392	0.140

(1)	(2)
377	0.084
375	0.147
437	0.016
236	0.005
234	0.041
235	0.225
430	0.001
1367	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.559</u>

ब-म. प्र. शासन की भूमि

242	0.046
478	0.019
425	0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.081</u>
अ + ब का योग . .	<u>5.640</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2532-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—डगरदुआ 200
(घ) क्षेत्रफल—0.201 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
226	0.086
225	0.025
207	0.090

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.201

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.201</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2534-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—नगमा 265
(घ) क्षेत्रफल—1.767 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

42	0.153
41	0.322
40	0.019
44	0.214
45	0.223
49	0.196
50	0.051
51	0.001
52	0.171
53	0.049
61	0.002
60	0.188
59	0.136
55	0.026
56	0.001

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.752

ब-म. प्र. शासन की भूमि		(1)	(2)
		507	0.007
57	0.015	508	0.008
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.015	471	0.019
अ + ब का योग	1.767	469	0.055
		468	0.056
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,		453	0.043
		456	0.079
		457	0.051
		460	0.022
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		459	0.153
		461	0.014
		287	0.003
		286	0.145
पत्र क्र. 2536-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		281	0.020
		282	0.086
		177	0.023
		176	0.178
		1105	0.011
		1111	0.014
		1112	0.215
		1110	0.016
		1108	0.091
(1) भूमि का वर्णन—		1119	0.004
(क) जिला—रीवा		1122	0.085
(ख) तहसील—मनगवां		1214	0.124
(ग) ग्राम—नवागांव 311		1224	0.023
(घ) क्षेत्रफल—6.731 हेक्टेयर.		1223	0.169
		1222	0.004
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	1217	0.110
(1)	(2)	1200	0.013
अ-निजी पट्टे की भूमि		1218	0.047
1427	0.002	1199	0.043
1425	0.107	1198	0.041
1424	0.108	1185	0.050
1426	0.001	1184	0.002
1423	0.036	1183	0.046
1086	0.188	1182	0.087
523	0.303	1181	0.012
502	0.066	1266	0.021
503	0.142	1269	0.063
509	0.003	1268	0.006
504	0.015	1373	0.098
505	0.016	1372	0.010
506	0.012	1312	0.002
		1367	0.054

(1)	(2)	(1)	(2)
1327	0.024	675	0.005
1335	0.048	673	0.004
1334	0.034	672	0.122
1333	0.040	663	0.016
1332	0.037	132	0.204
1331	0.042	129	0.041
1330	0.001	22	0.038
1074	0.101	21	0.088
1076	0.001	20	0.002
1075	0.095	24	0.029
1077	0.077	17	0.059
883	0.007	2	0.309
1070	0.052	16	0.003
885	0.052	6	0.002
886	0.052	4	0.033
889	0.097	5	0.017
872	0.054	8	0.075
871	0.068	9	0.007
865	0.007	1317	0.002
899	0.110	1370	0.005
900	0.004	1369	0.009
870	0.148	1368	0.018
869	0.006	1366	0.076
868	0.065	1365	0.047
866	0.034	1335	0.048
750	0.142	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	6.718
748	0.012	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
745	0.088		
746	0.008	1093	0.013
743	0.013	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.013
731	0.129	अ + ब का योग . .	6.731
732	0.017		
729	0.001	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती	
733	0.053	नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 एवं 7 के ब्रान्च	
706	0.010	माइनर एवं ब्रान्च सब-माइनर” में आने वाली निजी/	
703	0.006	शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
704	0.014	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
705	0.010	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
702	0.103	जा सकता है.	
697	0.001		
698	0.074	पत्र क्र. 2538-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
699	0.002	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
685	0.008	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
674	0.090	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—रीवा	
(ख) तहसील—मनगवां	
(ग) ग्राम—अमिरती 14	
(घ) क्षेत्रफल—0.220 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
107	0.001
106	0.152
73	0.072
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	0.225
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000
अ + ब का योग . . .	0.225
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 2540-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—रीवा	
(ख) तहसील—मनगवां	

(ग) ग्राम—मेथोरी 530
(घ) क्षेत्रफल—4.238 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
391	0.040
393	0.002
394	0.110
397	0.073
398	0.080
400	0.071
366	0.113
402	0.005
364	0.374
368	0.008
369	0.039
356	0.002
353	0.008
355	0.126
354	0.093
352	0.082
431	0.001
430	0.037
429	0.009
428	0.048
605	0.034
611	0.098
602	0.001
612	0.147
596	0.006
595	0.046
594	0.036
615	0.005
591	0.095
585	0.041
584	0.105
568	0.077
569	0.075
570	0.008
571	0.035
573	0.029
572	0.002
523	0.018
329	0.184
328	0.005

(1)	(2)	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
326	0.103	392	0.008
88	0.008	183	0.007
87	0.023		
325	0.006	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.015
321	0.093	अ + ब का योग	4.238
322	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती	
318	0.007	नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं	
319	0.049	ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि	
91	0.116	एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
92	0.074	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
320	0.020	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
93	0.077	जा सकता है.	
94	0.007	पत्र क्र. 2542-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
95	0.015	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
97	0.128	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
98	0.006	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
110	0.005	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
126	0.005	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा	
125	0.072	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
124	0.011	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
123	0.098	अनुसूची	
122	0.008	(1) भूमि का वर्णन—	
159	0.001	(क) जिला—रीवा	
120	0.002	(ख) तहसील—मनगवां	
121	0.020	(ग) ग्राम—नदहा 308	
160	0.172	(घ) क्षेत्रफल—1.464 हेक्टेयर.	
170	0.007	खसरा नं.	अर्जित रकबा
172	0.093		(हेक्टेयर में)
173	0.001	(1)	(2)
184	0.079	अ-निजी पट्टे की भूमि	
185	0.015	161	0.029
211	0.001	162	0.139
213	0.001	158	0.006
216	0.155	157	0.052
217	0.011	163	0.014
221	0.008	166	0.006
243	0.017	164	0.004
244	0.085	137	0.131
242	0.009	138	0.060
249	0.025	136	0.235
220	0.056	129	0.007
109	0.116	126	0.340
		119	0.013
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	4.223		

(1)	(2)	(1)	(2)
115	0.087	728	0.029
108	0.087	731	0.001
109	0.009	737	0.010
110	0.231	734	0.026
111	0.014	736	0.015
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.464	735	0.031
		690	0.017
ब-म. प्र. शासन की भूमि		691	0.028
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	692	0.021
अ + ब का योग . .	1.464	694	0.034
		543	0.078
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती		533	0.066
नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर में		531	0.074
आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति		530	0.030
के अर्जन हेतु.		518	0.005
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		517	0.021
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		515	0.033
जा सकता है.		514	0.034
		502	0.011
पत्र क्र. 2544-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को		513	0.042
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		381	0.052
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		382	0.074
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		374	0.003
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		375	0.022
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा		369	0.021
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		368	0.058
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		367	0.005
		220	0.040
अनुसूची		221	0.051
(1) भूमि का वर्णन—		222	0.004
(क) जिला—रीवा		224	0.052
(ख) तहसील—मनगवां		205	0.002
(ग) ग्राम—धवैया फोज-255		203	0.081
(घ) क्षेत्रफल—1.651 हेक्टेयर.		202	0.006
खसरा नं.	अर्जित रकबा	201	0.017
	(हेक्टेयर में)	199	0.024
(1)	(2)	193	0.063
अ-निजी पट्टे की भूमि		192	0.009
760	0.017	190	0.004
759	0.056	191	0.033
758	0.014	185	0.034
754	0.001	184	0.016
757	0.047	182	0.012
756	0.017	61	0.133
727	0.006		

(1)	(2)
58	0.015
57	0.017
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.612
732	0.018
431	0.007
383	0.014
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.039
अ + ब का योग . .	1.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2546-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—धवैया-254
(ग) ग्राम—मनगवां
(घ) क्षेत्रफल—0.342 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
47	0.004
46	0.008
213	0.063
44	0.004
54	0.048
56	0.038
55	0.003
63	0.041

(1)	(2)
62	0.027
70	0.046
72	0.032
73	0.020
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.334
75	0.008

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2548-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—चंदेह 153
(घ) क्षेत्रफल—5.682 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1071	0.003
1073	0.154
1112	0.004
1072	0.001
1064	0.037
1014	0.001
1063	0.037

(1)	(2)	(1)	(2)
1026	0.027	493	0.109
1025	0.027	447	0.026
1024	0.031	223	0.055
1028	0.037	222	0.059
1109	0.001	224	0.001
1032	0.040	219	0.041
1034	0.037	218	0.034
1047	0.016	217	0.029
1046	0.074	225	0.006
1037	0.005	230	0.055
1038	0.056	231	0.012
1039	0.041	209	0.018
872	0.003	261	0.001
870	0.238	232	0.006
871	0.001	247	0.078
811	0.014	246	0.012
974	0.056	248	0.039
975	0.105	245	0.018
976	0.017	244	0.085
1004	0.008	156	0.008
1002	0.004	157	0.028
1001	0.009	155	0.003
994	0.118	152	0.049
997	0.008	153	0.005
995	0.031	151	0.002
996	0.005	149	0.027
991	0.005	148	0.040
990	0.031	147	0.017
945	0.086	292	0.026
947	0.131	93	0.001
940	0.007	92	0.016
904	0.071	91	0.011
903	0.044	89	0.004
905	0.031	90	0.046
901	0.100	311	0.022
902	0.001	310	0.101
900	0.109	312	0.303
898	0.005	392	0.028
897	0.266	396	0.006
896	0.068	393	0.063
837	0.265	389	0.056
498	0.024	390	0.072
497	0.159	385	0.004
496	0.003	384	0.037
495	0.105	382	0.055
		378	0.122
		373	0.157
		372	0.002

(1)	(2)
369	0.001
370	0.113
371	0.011
364	0.012
363	0.337
629	0.010
657	0.012
658	0.005
659	0.001
660	0.005
661	0.008
662	0.005
158	0.021
145	0.008
141	0.047
140	0.026
139	0.013
137	0.009
116	0.012
118	0.015
119	0.018
120	0.017
121	0.019
122	0.015
125	0.003
67	0.014
126	0.001
66	0.015
65	0.019
64	0.043
62	0.027
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.614</u>
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
179	0.004
730	0.012
729	0.018
1097	0.014
989	0.006
946	0.006
530	0.006
632	0.002
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.068</u>
अ + ब का योग . .	<u>5.682</u>

ब्रान्च सब-माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2550-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मोहगढ़ 511
(घ) क्षेत्रफल—1.873 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

93	0.123
92	0.026
94	0.149
231	0.067
233	0.097
220	0.015
224	0.103
201	0.085
199	0.004
202	0.035
198	0.003
197	0.023
200	0.020
196	0.006
195	0.151
141	0.003
144	0.119
147	0.010
9	0.067
8	0.041
7	0.020

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं

(1)	(2)	(ग) ग्राम—मिसिरगवां 477	(घ) क्षेत्रफल—2.019 हेक्टेयर.
		खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
5	0.085		
4	0.004		
98	0.001		
44	0.277		
84	0.009		
45	0.001		
46	0.009		
47	0.024		
48	0.038		
49	0.010		
62	0.001		
50	0.102		
61	0.130		
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.858		
ब-म. प्र. शासन की भूमि			
99	0.015		
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.015		
अ + ब का योग . .	1.873		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			
पत्र क्र. 2552-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा			
(ख) तहसील—मनगवां			
		368	0.006
		369	0.055
		370	0.012
		365	0.006
		367	0.008
		366	0.010
		363	0.068
		362	0.012
		361	0.003
		357	0.011
		358	0.009
		353	0.040
		345	0.043
		346	0.041
		334	0.028
		335	0.013
		336	0.003
		333	0.020
		324	0.039
		354	0.037
		323	0.029
		321	0.012
		322	0.015
		317	0.023
		316	0.004
		301	0.022
		300	0.023
		298	0.001
		299	0.030
		109	0.035
		74	0.008
		104	0.018
		106	0.016
		107	0.006
		108	0.033
		757	0.006
		755	0.016
		110	0.007
		101	0.019

(1)	(2)	(1)	(2)
112	0.007	698	0.013
113	0.026	683	0.006
758	0.001	111	0.004
120	0.004	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.985
96	0.023	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
135	0.001		
136	0.026	52	0.022
137	0.026	297	0.008
138	0.023	296	0.004
141	0.024	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.034
148	0.019	अ + ब का योग . .	2.019
147	0.026		
160	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती	
161	0.016	नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं	
162	0.022	ब्रान्च सब-माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि	
163	0.061	एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,	
165	0.080	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
209	0.059	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
210	0.042	जा सकता है.	
205.	0.001		
184	0.069	पत्र क्र. 2554-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
183	0.014	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
190	0.036	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
208	0.004	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
207	0.026	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
211	0.037	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,	
225	0.010	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
226	0.038	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
227	0.017	अनुसूची	
253	0.005	(1) भूमि का वर्णन—	
622	0.004	(क) जिला—रीवा	
660	0.051	(ख) तहसील—मनगवां	
652	0.116	(ग) ग्राम—सथिनी मु. ट-529	
192	0.001	(घ) क्षेत्रफल—2.355 हेक्टेयर.	
648	0.009		
653	0.012	खसरा नं.	अर्जित रकबा
654	0.003		(हेक्टेयर में)
647	0.051	(1)	(2)
627	0.004	अ-निजी पट्टे की भूमि	
621	0.038	670	0.039
701	0.100	671	0.089
700	0.014	672	0.011
699	0.021	673	0.058

(1)	(2)	(1)	(2)
674	0.007	562	0.030
675	0.015	563	0.003
902	0.020	564	0.046
905	0.016	565	0.033
907	0.007	430	0.046
904	0.009	429	0.041
908	0.017	421	0.028
914	0.015	422	0.005
916	0.016	407	0.042
915	0.043	408	0.001
931	0.006	409	0.027
913	0.014	412	0.002
933	0.011	411	0.032
934	0.047	397	0.020
935	0.018	396	0.020
940	0.027	393	0.038
941	0.013	385	0.036
945	0.024	384	0.019
949	0.023	381	0.023
946	0.001	380	0.004
869	0.077	379	0.026
856	0.019	378	0.008
857	0.005	369	0.027
850	0.013	370	0.005
860	0.001	303	0.020
858	0.007	304	0.023
859	0.015	273	0.028
868	0.005	272	0.026
862	0.030	270	0.038
865	0.023	271	0.025
864	0.006	269	0.027
849	0.012	268	0.034
68	0.067	267	0.016
66	0.007	265	0.018
67	0.007	262	0.014
99	0.027	261	0.017
114	0.015	259	0.033
110	0.004	260	0.008
111	0.009	156	0.015
112	0.009	157	0.021
129	0.016	158	0.015
130	0.018	154	0.003
137	0.018	159	0.018
140	0.023	85	0.026
		86	0.015

(1)	(2)	(ग). ग्राम—सथिनी -527	
87	0.011	(घ) क्षेत्रफल—4.855 हेक्टेयर.	
88	0.045	खसरा नं.	अर्जित रकबा
89	0.008		(हेक्टेयर में)
90	0.051	(1)	(2)
69	0.054		अ-निजी पट्टे की भूमि
59	0.008	1688	0.019
58	0.044	1689	0.053
60	0.001	1697	0.025
51	0.023	1691	0.026
52	0.012	1695	0.018
982	0.013	1694	0.012
984	0.058	1702	0.041
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	2.309	1910	0.012
ब-म. प्र. शासन की भूमि		1909	0.029
		1908	0.072
917	0.022	1902	0.019
944	0.001	1906	0.007
382	0.023	1903	0.024
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.046	1901	0.036
अ + ब का योग . . .	2.355	1899	0.016
		1895	0.055
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		935	0.017
		934	0.013
		932	0.012
		931	0.060
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		930	0.006
		910	0.030
		920	0.015
		919	0.063
		921	0.002
पत्र क्र. 2556-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		917	0.036
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		918	0.007
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		820	0.010
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		821	0.006
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा		892	0.129
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		876	0.071
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		875	0.005
		874	0.009
		872	0.076
अनुसूची		866	0.005
		864	0.023
(1) भूमि का वर्णन—		863	0.022
(क) जिला—रीवा		1676	0.059
(ख) तहसील—मनगवां		1677	0.029
		1678	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
1679	0.037	1324	0.020
1668	0.001	1323	0.035
1667	0.013	1461	0.032
1666	0.018	1502	0.011
1720	0.050	1504	0.014
1721	0.017	1505	0.015
1658	0.015	•1509	0.016
1657	0.043	1508	0.006
1656	0.057	1514	0.014
1655	0.019	1515	0.009
1654	0.001	1517	0.010
1653	0.005	1520	0.001
1650	0.016	1518	0.012
1649	0.011	1519	0.007
1739	0.020	1523	0.028
1740	0.004	1999/1997	0.008
1741	0.020	1472	0.020
1546	0.024	1473	0.016
1545	0.014	1478	0.019
1544	0.017	1477	0.019
1543	0.003	1752	0.002
1483	0.030	1753	0.040
1484	0.010	1754	0.007
1485	0.002	1756	0.013
1462	0.096	1759	0.016
1471	0.022	1762	0.015
1467	0.001	1761	0.045
1466	0.044	1763	0.003
1464	0.052	1798	0.016
1458	0.011	964	0.024
1465	0.001	965	0.001
1436	0.022	963	0.021
1409	0.026	962	0.039
1408	0.002	961	0.002
2009	0.042	982	0.060
1413	0.037	1006	0.013
1414	0.111	1004	0.011
1386	0.022	1002	0.012
1383	0.022	1000	0.011
1380	0.016	998	0.034
1379	0.017	1022	0.032
1377	0.017	1045	0.021
1346	0.069	1046	0.005
1344	0.058	1047	0.007

(1)	(2)	(1)	(2)
1044	0.001	574	0.004
1043	0.001	395	0.053
1048	0.031	387	0.015
1057	0.024	386	0.031
1056	0.015	385	0.009
1053	0.012	381	0.008
1097	0.015	383	0.028
1094	0.042	382	0.004
1093	0.023	378	0.001
1091	0.025	377	0.017
1090	0.031	376	0.017
1088	0.034	214	0.035
1089	0.001	210	0.031
1087	0.022	209	0.031
1086	0.024	208	0.006
1116	0.012	167	0.018
1115	0.012	168	0.014
1120	0.011	169	0.003
1121	0.025	166	0.032
1122	0.001	165	0.110
1123	0.029	163	0.159
1125	0.025	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.809
1124	0.016	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1144	0.011		
1141	0.017	1900	0.004
1138	0.019	1143	0.013
1137	0.020	1098	0.011
1132	0.020	1997/1429	0.018
1135	0.026	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.046
548	0.018	अ + ब का योग . .	4.855
547	0.016		
551	0.014	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता	
552	0.010	है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3” में आने	
549	0.019	वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के	
548	0.010	अर्जन हेतु.	
560	0.098	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
565	0.005	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
564	0.057	जा सकता है.	
566	0.115		
567	0.010		
572	0.067		
570	0.009		
573	0.002		
571	0.098		

पत्र क्र. 2558-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मैथोरी 529
(घ) क्षेत्रफल—0.759 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

55	0.013
54	0.159
36	0.007
53	0.025
37	0.001
39	0.102
38	0.008
40	0.007
35	0.035
26	0.036
27	0.072
19	0.067
17	0.067
50	0.044
49	0.116

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.759

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.759

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2560-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—मनकुआ-820
(घ) क्षेत्रफल—0.251 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

118	0.031
17	0.117
18	0.064
19	0.009
21	0.023
22	0.007

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.251

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.251

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2562-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—इटहाकला 54

(घ) क्षेत्रफल—0.833 हेक्टेयर.

ब-म. प्र. शासन की भूमि

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

506

0.008

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

466	0.011
467	0.047
474	0.017
473	0.008
476	0.022
477	0.001
486	0.024
487	0.025
489	0.002
490	0.024
492	0.003
493	0.001
495	0.021
494	0.035
503	0.001
418	0.035
505	0.032
132	0.021
509	0.021
510	0.057
507	0.006
515	0.073
2447	0.015
722	0.007
737	0.075
736	0.007
738	0.017
643	0.024
644	0.001
1241	0.008
642	0.007
1243	0.019
1245	0.022
1244	0.002
1249	0.048
1248	0.001
1251	0.044
681	0.041

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.825

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.008

अ + ब का योग . . . 0.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2564-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—जोधपुर-357
(घ) क्षेत्रफल—2.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

443	0.083
442	0.018
441	0.013
439	0.021
438	0.047
429	0.023
437	0.017
436	0.056
434	0.010
433	0.001
83	0.048
82	0.001
84	0.055
74	0.058
73	0.143
69	0.022

(1)	(2)
256	0.066
259	0.098
282	0.062
283	0.016
278	0.031
267	0.033
116	0.059
117	0.045
115	0.017
121	0.036
122	0.008
141	0.039
139	0.032
138	0.054
158	0.046
486	0.036
487	0.002
488	0.005
329	0.029
328	0.022
327	0.043
326	0.079
307	0.031
306	0.078
304	0.004
299	0.007
301	0.050
300	0.032
258	0.185
257	0.063
255	0.022
253	0.099
221	0.004
214	0.052
215	0.058
216	0.041
190	0.122
188	0.052
186	0.052
185	0.015
181	0.027
180	0.046
179	0.066
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.580
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
435	0.015
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.015
अ + ब का योग . .	2.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2566-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—जोगिया-355

(घ) क्षेत्रफल—0.625 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
5	0.031
6	0.03
7	0.029
8	0.031
10	0.051
84	0.045
21	0.001
22	0.058
69	0.006
29	0.038
68	0.013
32	0.015
33	0.018
34	0.016
35	0.070
40	0.063
41	0.007
39	0.049
38	0.001

(1)	(2)	(1)	(2)
28	0.001	108	0.034
43	0.052	112	0.027
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.625	113	0.035
		60	0.026
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	61	0.003
अ + ब का योग . .	0.625	59	0.117
		54	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		57	0.002
		56	0.097
		20	0.010
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		27	0.029
		22	0.027
		23	0.002
		26	0.038
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.811

ब-म. प्र. शासन की भूमि

115	0.016
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
अ + ब का योग . .	0.827

पत्र क्र. 2568-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—उमरिया ब्यौहरियान-69
(घ) क्षेत्रफल—0.827 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
178	0.017
173	0.022
176	0.004
174	0.011
172	0.042
163	0.034
443	0.038
164	0.003
151	0.024
153	0.009
152	0.047
101	0.016
103	0.033
102	0.018
99	0.022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2570-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—अटरा-3
(घ) क्षेत्रफल—0.496 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
10	0.156

(1)	(2)
24	0.088
207	0.035
23	0.103
22	0.054
21	0.060
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.496

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.496

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2572-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—झसी-364
(घ) क्षेत्रफल—0.504 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
34	0.174
43	0.034
183	0.019
184	0.028
55	0.059
56	0.027

(1)	(2)
77	0.045
82	0.078
84	0.001
85	0.039
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.504

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.504

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2574-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—मड़ना 812
(घ) क्षेत्रफल—0.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

880	0.100
881	0.117
878	0.063
882	0.023
883	0.030
924	0.087
925	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
926	0.027	494	0.057
868	0.200	493	0.042
943	0.003	498	0.058
951	0.084	499	0.057
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.744</u>	500	0.042
ब-म. प्र. शासन की भूमि		457	0.047
825	0.024	456	0.022
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.024</u>	455	0.005
अ + ब का योग . .	<u>0.768</u>	453	0.043
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अंतर्गत डगाडगपुर माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		436	0.044
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		435	0.027
		438	0.030
		439	0.019
		443	0.055
		441	0.002
		442	0.032
		555	0.045
		554	0.035
		565	0.021
पत्र क्र. 2576-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		564	0.048
		567	0.029
		562	0.005
		572	0.005
		570	0.045
		569	0.024
		573	0.025
		758	0.064
		756	0.032
		755	0.040
		733	0.016
(1) भूमि का वर्णन—		754	0.004
(क) जिला—रीवा		747	0.015
(ख) तहसील—नईगढ़ी		748	0.008
(ग) ग्राम—फुलहा 647		750	0.063
(घ) क्षेत्रफल—1.687 हेक्टेयर.		734	0.006
खसरा नं.	अर्जित रकबा	732	0.032
	(हेक्टेयर में)	731	0.034
(1)	(2)	730	0.073
		728	0.063
		729	0.005
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.687</u>
		ब-म. प्र. शासन की भूमि	
		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
		अ + ब का योग . .	<u>1.687</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2578-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—सुअरहा-989
(घ) क्षेत्रफल—1.956 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

456	0.014
457	0.065
458	0.054
459	0.040
460	0.051
462	0.091
461	0.018
464	0.030
465	0.050
467	0.018
466	0.104
164	0.136
163	0.017
165	0.083
167	0.058
166	0.001
156	0.055
154	0.012
153	0.102

(1)	(2)
152	0.021
151	0.053
150	0.024
155	0.054
185	0.038
180	0.008
183	0.036
182	0.002
187	0.033
186	0.009
189	0.028
127	0.035
128	0.049
125	0.035
246	0.034
129	0.001
247	0.028
248	0.001
249	0.009
250	0.046
251	0.012
57	0.005
56	0.038
55	0.039
54	0.002
50	0.040
52	0.044
51	0.035
44	0.002
46	0.091
47	0.001
17	0.006
16	0.006
15	0.062
14	0.018
13	0.012

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.956

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 1.956

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 2580-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—मैरहा-875
(घ) क्षेत्रफल—0.656 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि

52	0.015
53	0.025
54	0.024
55	0.026
56	0.023
60	0.001
59	0.050
58	0.086
34	0.089
33	0.039
35	0.003
36	0.108
38	0.167

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.656

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.656

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं

पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2582-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—पलिया दुवान-593
(घ) क्षेत्रफल—3.294 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

911	0.086
910	0.009
909	0.037
912	0.070
906	0.082
905	0.131
835	0.004
904	0.008
836	0.061
838	0.006
837	0.058
666	0.037
664	0.032
663	0.004
678	0.036
657	0.029
661	0.017
658	0.007
643	0.132
642	0.005
582	0.088
581	0.001

(1)	(2)	(1)	(2)
588	0.047	119	0.048
574	0.009	118	0.025
577	0.100	117	0.032
542	0.001	16	0.051
541	0.052	14	0.063
539	0.018	10	0.037
536	0.028	9	0.020
533	0.032	8	0.067
534	0.025	4	0.018
526	0.045	5	0.055
523	0.078	34	0.060
522	0.043	33	0.001
488	0.068	35	0.169
487	0.030	37	0.055
489	0.054	51	0.026
490	0.105	52	0.022
491	0.038	53	0.014
483	0.011	54	0.003
244	0.096	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 3.174	
243	0.068	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
242	0.019	662	0.012
241	0.007	580	0.027
235	0.023	579	0.036
234	0.001	578	0.023
189	0.025	36	0.011
190	0.048	537	0.011
191	0.064	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.120	
193	0.054	अ + ब का योग . . . 3.294	
165	0.115	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
166	0.009	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
161	0.033	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
160	0.019	पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	
159	0.016		
156	0.023		
153	0.020		
154	0.003		
149	0.019		
148	0.022		

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 24th November 2016

No. 1154-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting a **Regional Workshop on Family Laws for the Principal Judges of Family Courts and Additional District Judges dealing with matrimonial cases of Jabalpur and Sagar regions on 12 December 2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.**

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the **Workshop** shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 12th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam**, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge, as per the rules of the Academy.
10. The participants shall forward the issues and problems faced by them in conduct of trials in family matters, proposed solutions and best practices (if any) adopted by them to resolve the issues relevant to the subject for sharing and discussion in the regional workshop on official email of the State Judicial Academy i. e. mpsja@mphc.in atleast fifteen days prior to the Schedule of the workshop i. e. not later than 27-11-2016, Please do not send hard copies of the same.

No. 1156-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop for Chief Judicial Magistrates on 23rd December 2016 in the Academy. Judicial Officers, whose names figure in**

the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop:—

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the **Workshop** shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 23th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam**, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge, as per the rules of the Academy.
10. The participants shall send atleast three article/presentation/ research paper/ judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. e.mpsjs@mpjc.in atleast three days prior to the schedule of Workshop. **Please do not send hard copies of the same.**

By order of Honble the Acting Chief Justice

MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. A-4615-दो-3-44-13.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक तेरह माह की अवधि के लिए सत्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4617-दो-3-420/80 भाग-बारह.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2015 से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 तक लगभग इक्कीस माह की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे 09 दिवस (नौ दिवस मात्र) के अर्जित

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-

इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. 1196-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-35).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी) 3-2015-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 23/24 नवम्बर, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गौरव गर्ग (मेरिट क्रमांक 01).	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री शरद जोशी (मेरिट क्रमांक 03).	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	सुश्री रिनी खान (मेरिट क्रमांक 07).	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री चैतन्य अनुभव चौबे (मेरिट क्रमांक 08).	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री तनवीर खान (मेरिट क्रमांक 12).	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 14).	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	श्री भारत सिंह रघुवंशी (मेरिट क्रमांक 17).	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 18).	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	सुश्री रेनु यादव (मेरिट क्रमांक 24).	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10	श्री नदीम जावेद खान (मेरिट क्रमांक 27).	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	श्री वेदप्रकाश सगर (मेरिट क्रमांक 58).	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1206-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुश्री प्रगति मित्रा	भिण्ड	इंदौर	इंदौर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. A-4613-दो-2-41-2013.—श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 25 से 26 नवम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. सी-4666-तीन-10-47/78-सात.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निर्देश देता है कि मध्यप्रदेश में प्रत्येक सिविल जिले के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 16259, 1-3-2012/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश के प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश के द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	2	अलीराजपुर	2	अलीराजपुर	2
		जोबट	1	जोबट	1	जोबट	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	अनूपपुर	अनूपपुर कोतमा राजेन्द्रग्राम	3 2 1	अनूपपुर कोतमा राजेन्द्रग्राम	2 1 1	अनूपपुर कोतमा राजेन्द्रग्राम	3 2 1
3	अशोकनगर	अशोकनगर मुंगावली चंदेरी	2 2 1	अशोकनगर मुंगावली चंदेरी	3 1 1	अशोकनगर मुंगावली चंदेरी	4 3 2
4	बालाघाट	बालाघाट वारासिवनी बैहर कटंगी	2 2 1 1	बालाघाट वारासिवनी बैहर	3 2 2	बालाघाट वारासिवनी बैहर कटंगी लांजी	8 3 1 1 1
5	बड़वानी	बड़वानी सेंधवा	4 3	बड़वानी सेंधवा राजपुर अंजड	2 1 1 1	बड़वानी सेंधवा राजपुर अंजड खेतिया	3 1 1 1 1
6	बैतूल	बैतूल मुलताई भैंसदेही	3 4 1	बैतूल मुलताई भैंसदेही आमला	4 3 1 1	बैतूल मुलताई भैंसदेही आमला	5 3 1 2
7	भिण्ड	भिण्ड लहार गोहद मेहगांव	7 1 2 1	भिण्ड लहार गोहद मेहगांव	2 3 1 2	भिण्ड लहार गोहद मेहगांव	5 2 3 1
8	भोपाल	भोपाल बैरसिया	26 1	भोपाल बैरसिया	33 5	भोपाल बैरसिया	49 3
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	4	बुरहानपुर नेपानगर	4 1	बुरहानपुर	6
10	छतरपुर	छतरपुर नौगांव बिजावर लौंडी	6 2 2 1	छतरपुर नौगांव बिजावर लौंडी	3 2 2 2	छतरपुर नौगांव बिजावर लौंडी राजनगर बड़ामलहरा	4 3 3 4 2 2
11	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा अमरवाड़ा सौंसर परासिया जुन्नारदेव (जामई). चौरई	6 1 1 1 1 1	छिंदवाड़ा अमरवाड़ा सौंसर परासिया जुन्नारदेव (जामई). चौरई पांडुर्णा	5 1 1 1 1 1 1	छिंदवाड़ा अमरवाड़ा सौंसर परासिया जुन्नारदेव (जामई). चौरई पांडुर्णा	8 1 2 2 2 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	दमोह	दमोह हटा	10 3	दमोह हटा	2 2	दमोह हटा पथरिया तेंदूखेड़ा	6 3 1 1
13	दतिया	दतिया सेवड़ा भाण्डेर	3 2 1	दतिया सेवड़ा भाण्डेर	2 1 2	दतिया सेवड़ा भाण्डेर	4 2 1
14	देवास	देवास कन्नौद सोनकच्छ बागली खातेगांव टोंकखुर्द	5 2 3 2 2 1	देवास कन्नौद सोनकच्छ बागली खातेगांव टोंकखुर्द	7 2 2 2 2 1	देवास कन्नौद सोनकच्छ बागली खातेगांव टोंकखुर्द	8 2 2 2 2 1
15	धार	धार कुक्षी मनावर सरदारपुर धरमपुरी बदनावर	5 2 2 3 2 1	धार कुक्षी मनावर सरदारपुर धरमपुरी बदनावर	3 2 2 2 2 1	धार कुक्षी मनावर सरदारपुर धरमपुरी बदनावर	5 2 1 3 1 3
16	डिंडोरी	डिंडोरी	3	डिंडोरी शहपुरा	2 1	डिंडोरी शहपुरा	3 1
17	पूर्व निमाड़ खण्डवा.	खण्डवा	5	खण्डवा हरसूद पुनासा	8 1 1	खण्डवा हरसूद	9 2
18	गुना	गुना चाचोड़ा	7 1	गुना चाचोड़ा राधोगढ़ आरोन	5 1 2 1	गुना चाचोड़ा राधोगढ़ आरोन कुंभराज	5 2 2 1 1
19	ग्वालियर	ग्वालियर डबरा भितरवार	24 6 1	ग्वालियर डबरा भितरवार	16 3 2	ग्वालियर डबरा भितरवार	25 4 2
20	हरदा	हरदा	3	हरदा खिरकिया	3 1	हरदा	5
21	होशंगाबाद	होशंगाबाद सोहागपुर पिपरिया इटारसी	3 2 3 3	होशंगाबाद सोहागपुर पिपरिया इटारसी सिवनी मालवा	2 1 2 2 1	होशंगाबाद सोहागपुर पिपरिया इटारसी सिवनी मालवा पचमढी	3 1 2 3 1 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	इंदौर	इंदौर महू सांवेर देपालपुर	35 5 1 1	इंदौर महू सांवेर देपालपुर	50 5 2 3	इंदौर महू सांवेर देपालपुर हतोद	64 8 2 2 1
23	जबलपुर	जबलपुर सिहोरा पाटन	30 4 1	जबलपुर सिहोरा पाटन	35 2 3	जबलपुर सिहोरा पाटन मझौली	50 4 3 1
24	झाबुआ	झाबुआ पेटलावद	2 1	झाबुआ पेटलावद थांदला	2 2 1	झाबुआ पेटलावद थांदला	3 1 1
25	कटनी	कटनी	10	कटनी विजयराघवगढ़ ढीमरखेड़ा बरही	5 1 1 1	कटनी विजयराघवगढ़ बहोरीबंद बड़वारा	9 1 1 1
26	मण्डला	मण्डला निवास नैनपुर	5 1 1	मण्डला निवास	4 1	मण्डला निवास नैनपुर नारायणगंज भुआबिछिया	5 2 1 1 1
27	मंदसौर	मंदसौर गरोठ भानपुरा	7 2 1	मंदसौर गरोठ भानपुरा सीतामऊ नारायणगढ़	5 1 1 1 1	मंदसौर गरोठ भानपुरा सीतामऊ नारायणगढ़ सुवासरा	5 1 1 2 3 1
28	मुरैना	मुरैना सबलगढ़ जौरा अम्बाह	10 2 4 3	मुरैना सबलगढ़ जौरा अम्बाह	4 2 1 2	मुरैना सबलगढ़ जौरा अम्बाह पोरसा	6 5 3 4 1
29	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर गाडरवाड़ा	5 7	नरसिंहपुर गाडरवाड़ा	3 2	नरसिंहपुर गाडरवाड़ा तेंदूखेड़ा गोटेगांव	5 3 1 1
30	नीमच	नीमच मनासा जावद	3 3 1	नीमच मनासा जावद	4 2 1	नीमच मनासा जावद रामपुरा	4 2 2 1
31	पन्ना	पन्ना पवई	3 1	पन्ना पवई	2 1	पन्ना पवई अजयगढ़	4 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	रायसेन	रायसेन बेगमगंज बरेली गोहरगंज	6 2 1 1	रायसेन बेगमगंज बरेली गोहरगंज	2 1 2 3	रायसेन बेगमगंज बरेली गोहरगंज गैरतगंज सिलवानी उदयपुरा	3 1 1 2 2 1 1
33	राजगढ़	राजगढ़ ब्यावरा नरसिंहगढ़ सारंगपुर	2 4 2 2	राजगढ़ ब्यावरा नरसिंहगढ़ सारंगपुर खिलचलीपुर जीरापुर	2 1 2 1 1 1	राजगढ़ ब्यावरा नरसिंहगढ़ सारंगपुर खिलचलीपुर जीरापुर पचौर	3 3 2 2 1 1 1
34	रतलाम	रतलाम जावरा आलोट	8 2 1	रतलाम जावरा आलोट सैलाना	7 4 1 2	रतलाम जावरा आलोट सैलाना	11 7 5 2
35	रीवा	रीवा मउगंज त्यौंथर सिरमौर	19 2 1 1	रीवा मउगंज त्यौंथर सिरमौर	5 3 1 2	रीवा मउगंज त्यौंथर सिरमौर हनुमना	9 6 2 3 1
36	सागर	सागर खुरई रेहली बण्डा बीना देवरी	11 3 2 1 2 1	सागर खुरई रेहली बण्डा बीना देवरी	7 2 1 3 1 1	सागर खुरई रेहली बण्डा बीना देवरी गढ़ाकोटा	11 3 1 2 2 1 1
37	सतना	सतना मैहर नागौद अमरपाटन	13 4 4 2	सतना मैहर नागौद अमरपाटन	7 2 2 1	सतना मैहर नागौद अमरपाटन रामपुर बघेलान उचेहरा चित्रकूट	9 2 2 2 2 2 1
38	सीहोर	सीहोर आष्टा नसरुल्लागंज बुधनी	3 2 3 1	सीहोर आष्टा - बुधनी	2 1 - 1	सीहोर आष्टा नसरुल्लागंज बुधनी इछावर	6 3 2 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	सिवनी	सिवनी लखनादौन	4 2	सिवनी लखनादौन	5 2	सिवनी लखनादौन घंसौर केवलारी	6 2 1 1
40	शहडोल	शहडोल ब्यौहारी बुढ़ार जयसिंहनगर	3 1 1 1	शहडोल ब्यौहारी बुढ़ार जयसिंहनगर	3 1 2 1	शहडोल ब्यौहारी बुढ़ार जयसिंहनगर	5 2 2 2
41	शाजापुर	शाजापुर शुजालपुर आगर सुसनेर	6 4 2 1	शाजापुर शुजालपुर आगर सुसनेर	3 2 1 1	शाजापुर शुजालपुर आगर सुसनेर नलखेड़ा	4 3 2 1 1
42	श्योपुर	श्योपुर विजयपुर	5 1	श्योपुर विजयपुर	2 1	श्योपुर विजयपुर	4 1
43	शिवपुरी	शिवपुरी करेरा पिछोर	7 3 1	शिवपुरी करेरा पिछोर कोलारस पोहरी खनियाधाना	2 2 1 2 1 2	शिवपुरी करेरा पिछोर कोलारस पोहरी खनियाधाना	6 3 2 2 2 1
44	सीधी	सीधी मझौली	5 1	सीधी मझौली चुरहट रामपुर नैकिन	3 1 2 1	सीधी मझौली चुरहट रामपुर नैकिन	4 1 4 1
45	सिंगरौली	बैढ़न देवसर	7 5	बैढ़न देवसर	4 2	बैढ़न देवसर सरई	7 3 1
46	टीकमगढ़	टीकमगढ़ जतारा निवाड़ी	5 2 2	टीकमगढ़ जतारा निवाड़ी ओरछा	4 3 2 1	टीकमगढ़ जतारा निवाड़ी ओरछा	6 2 2 2
47	उज्जैन	उज्जैन खाचरोद महिदपुर बड़नगर तराना नागदा	11 2 4 1 1 1	उज्जैन खाचरोद महिदपुर बड़नगर तराना नागदा	9 1 1 3 1 1	उज्जैन खाचरोद महिदपुर बड़नगर तराना नागदा घट्टिया	11 1 4 3 3 3 1
48	उमरिया	उमरिया	3	उमरिया	4	उमरिया बिरसिंहपुरपाली मानपुर	4 2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	विदिशा	विदिशा	4	विदिशा	4	विदिशा	6
		बासौदा	3	बासौदा	3	बासौदा	4
		सिरौंज	2	सिरौंज	2	सिरौंज	1
		कुरवाई	1	कुरवाई	1	कुरवाई	1
		लटेरी	1			लटेरी	1
						शमशाबाद	1
50	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	4	मण्डलेश्वर	1	मण्डलेश्वर	2
		खरगौन	6	खरगौन	3	खरगौन	4
		बड़वाह	3	बड़वाह	1	बड़वाह	2
		भीकनगांव	1	भीकनगांव	1	भीकनगांव	1
				कसरावद	1	कसरावद	1
						महेश्वर	2
						सनावद	2

No. C/4666-III-10-40/78-VII.—In cexercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in Supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the High Court, hereby directs that the Court of Additional District Judges, Civil Judges (Class-I) and Civil Judges (Class-II) as established by the Law and Legislative Affairs Department's Notification F. No. 16259 1-3-2012/XXI-B(1), dated 5 OCTOBER 2016 for each Civil District in the State of Madhya Pradesh shall sit at the places specified against each Civil District in the table below:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Alirajpur	Alirajpur	2	Alirajpur	2	Alirajpur	2
		Jobat	1	Jobat	1	Jobat	1
2	Anuppur	Anuppur	3	Anuppur	2	Anuppur	3
		Kotma	2	Kotma	1	Kotma	2
		Rajendragram	1	Rajendragram	1	Rajendragram	1
3	Ashoknagar	Ashoknagar	2	Ashoknagar	3	Ashoknagar	4
		Mungaoli	2	Mungaoli	1	Mungaoli	3
		Chanderi	1	Chanderi	1	Chanderi	2
4	Balaghat	Balaghat	2	Balaghat	3	Balaghat	8
		Waraseoni	2	Waraseoni	2	Waraseoni	3
		Baihar	1	Baihar	2	Baihar	1
		Katangi	1			Katangi	1
						Lanji	1
5	Barwani	Barwani	4	Barwani	2	Barwani	3
		Sendhwa	3	Sendhwa	1	Sendhwa	1
				Rajpur	1	Rajpur	1
				Anjad	1	Anjad	1
						Khetia	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Betul	Betul	3	Betul	4	Betul	5
		Multai	4	Multai	3	Multai	3
		Bhaisdehi	1	Bhaisdehi	1	Bhaisdehi	1
				Amla	1	Amla	2
7	Bhind	Bhind	7	Bhind	2	Bhind	5
		Lahar	1	Lahar	3	Lahar	2
		Gohad	2	Gohad	1	Gohad	3
		Mehgaon	1	Mehgaon	2	Mehgaon	1
8	Bhopal	Bhopal	26	Bhopal	33	Bhopal	49
		Berasia	1	Berasia	5	Berasia	3
9	Burhanpur	Burhanpur	4	Burhanpur	4	Burhanpur	6
				Nepanagar	1		
10	Chhatarpur	Chhatarpur	6	Chhatarpur	3	Chhatarpur	4
		Nowgaon	2	Nowgaon	2	Nowgaon	3
		Bijawar	2	Bijawar	2	Bijawar	3
		Laundi	1	Laundi	2	Laundi	4
						Rajnagar	2
						Badamalhara	2
11	Chhindwara	Chhindwara	6	Chhindwara	5	Chhindwara	8
		Amarwara	1	Amarwara	1	Amarwara	1
		Sausar	1	Sausar	1	Sausar	2
		Parasia	1	Parasia	1	Parasia	2
		Junnardeo	1	Junnardeo	1	Junnardeo	2
		(Jamai)		(Jamai)		(Jamai)	
		Chourai	1	Chourai	1	Chourai	1
		Pamdurna	1	Pamdurna	1		
12	Damoh	Damoh	10	Damoh	2	Damoh	6
		Hata	3	Hata	2	Hata	3
						Pathariya	1
						Tendukheda	1
13	Datia	Datia	3	Datia	2	Datia	4
		Seodha	2	Seodha	1	Seodha	2
		Bhander	1	Bhander	2	Bhander	1
14	Dewas	Dewas	5	Dewas	7	Dewas	8
		Kannod	2	Kannod	2	Kannod	2
		Sonkatch	3	Sonkatch	2	Sonkatch	2
		Bagli	2	Bagli	2	Bagli	2
		Khategaon	2	Khategaon	2	Khategaon	2
		Tonkkhurd	1	Tonkkhurd	1	Tonkkhurd	1
15	Dhar	Dhar	5	Dhar	3	Dhar	5
		Kukshi	2	Kukshi	2	Kukshi	2
		Manawar	2	Manawar	2	Manawar	1
		Sardarpur	3	Sardarpur	2	Sardarpur	3
		Dharamपुर	2	Dharamपुर	2	Dharamपुर	1
		Badnawar	1	Badnawar	1	Badnawar	3
16	Dindori	Dindori	3	Dindori	2	Dindori	3
				Shahpura	1	Shahpura	1
17	East Nimar Khandwa	Khandwa	5	Khandwa	8	Khandwa	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Harsood	1	Harsood	2
				Punasa	1		
18	Guna	Guna	7	Guna	5	Guna	5
		Chachoda	1	Chachoda	1	Chachoda	2
				Raghogarh	2	Raghogarh	2
				Aron	1	Aron	1
						Kumbharj	1
19	Gwalior	Gwalior	24	Gwalior	16	Gwalior	25
		Dabra	6	Dabra	3	Dabra	4
		Bhitarwar	1	Bhitarwar	2	Bhitarwar	2
20	Harda	Harda	3	Harda	3	Harda	5
				Khirkiya	1		
21	Hoshangabad	Hoshangabad	3	Hoshangabad	2	Hoshangabad	3
		Sohagpur	2	Sohagpur	1	Sohagpur	1
		Pipariya	3	Pipariya	2	Pipariya	2
		Itarsi	3	Itarsi	2	Itarsi	3
				Seoni Malwa	1	Seoni Malwa	1
						Pachmarhi	2
22	Indore	Indore	35	Indore	50	Indore	64
		Mhow	5	Mhow	5	Mhow	8
		Sanwer	1	Sanwer	2	Sanwer	2
		Depalpur	1	Depalpur	3	Depalpur	2
						Hatod	1
23	Jabalpur	Jabalpur	30	Jabalpur	35	Jabalpur	50
		Sihora	4	Sihora	2	Sihora	4
		Patan	1	Patan	3	Patan	3
						Majholi	1
24	Jhabua	Jhabua	2	Jhabua	2	Jhabua	3
		Petlawad	1	Petlawad	2	Petlawad	1
				Thandla	1	Thandla	1
25	Katni	Katni	10	Katni	5	Katni	9
				Vijayraghavgarth	1	Vijayraghavgarth	1
				Dhimarkheda	1	Bahoriband	1
				Barhi	1	Badwara	1
26	Mandla	Mandla	5	Mandla	4	Mandla	5
		Niwas	1	Niwas	1	Niwas	2
		Nianpur	1			Nainpur	1
						Narayanganj	1
						Bhuabichhiya	1
27	Mandsaur	Mandsaur	7	Mandsaur	5	Mandsaur	5
		Garoth	2	Garoth	1	Garoth	1
		Bhanpura	1	Bhanpura	1	Bhanpura	1
				Sitamau	1	Sitamau	2
				Nayayangarh	1	Nayayangarh	3
						Suwasra	1
28	Morena	Morena	10	Morena	4	Morena	6
		Sabalgarh	2	Sabalgarh	2	Sabalgarh	5
		Jora	4	Jora	1	Jora	3
		Ambah	3	Ambah	2	Ambah	4
						Porsa	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Narsinghpur	Narsinghpur	5	Narsinghpur	3	Narsinghpur	5
		Gadarwara	7	Gadarwara	2	Gadarwara Tendukheda Gotegaon	3 1 1
30	Neemuch	Neemuch	3	Neemuch	4	Neemuch	4
		Manasa	3	Manasa	2	Manasa	2
		Jawad	1	Jawad	1	Jawad	2
						Rampura	1
31	Panna	Panna	3	Panna	2	Panna	4
		Pawai	1	Pawai	1	Pawai	1
						Ajaygarh	1
32	Raisen	Raisen	6	Raisen	2	Raisen	3
		Begumganj	2	Begumganj	1	Begumganj	1
		Bareli	1	Bareli	2	Bareli	1
		Goharganj	1	Goharganj	3	Goharganj	2
						Gairatganj	2
						Silwani	1
				Udaipura	1		
33	Rajgarh	Rajgarh	2	Rajgarh	2	Rajgarh	3
		Biaora	4	Biaora	1	Biaora	3
		Narsinghgarh	2	Narsinghgarh	2	Narsinghgarh	2
		Sarangpur	2	Sarangpur	1	Sarangpur	2
				Khilchipur	1	Khilchipur	1
				Jeerapur	1	Jeerapur	1
						Pachour	1
34	Ratlam	Ratlam	8	Ratlam	7	Ratlam	11
		Jaora	2	Jaora	4	Jaora	7
		Alote	1	Alote	1	Alote	5
				Sailana	2	Sailana	2
35	Rewa	Rewa	19	Rewa	5	Rewa	9
		Mauganj	2	Mauganj	3	Mauganj	6
		Teonthar	1	Teonthar	1	Teonthar	2
		Sirmour	1	Sirmour	2	Sirmour	3
						Hanumana	1
36	Sagar	Sagar	11	Sagar	7	Sagar	11
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	1	Banda	3	Banda	2
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	1	Deori	1	Deori	1
						Garhakota	1
37	Satna	Satna	13	Satna	7	Satna	9
		Maihar	4	Maihar	2	Maihar	2
		Nagod	4	Nagod	2	Nagod	2
		Amarpatan	2	Amarpatan	1	Amarpatan	2
						Rampur Baghelan	2
						Uchehara	2
				Chitrakoot	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Sehore	Sehore	3	Sehore	2	Sehore	6
		Ashta	2	Ashta	1	Ashta	3
		Nasrullaganj	3	-	-	Nasrullaganj	2
		Budhni	1	Budhni	1	Budhni	1
						Ichhawar	1
39	Seoni	Seoni	4	Seoni	5	Seoni	6
		Lakhnadon	2	Lakhnadon	2	Lakhnadon	2
						Ghansaur	1
						Kewlari	1
40	Shahdol	Shahdol	3	Shahdol	3	Shahdol	5
		Beohari	1	Beohari	1	Beohari	2
		Burhar	1	Burhar	2	Burhar	2
		Jaisinghnagar	1	Jaisinghnagar	1	Jaisinghnagar	2
41	Shajapur	Shajapur	6	Shajapur	3	Shajapur	4
		Shujalpur	4	Shujalpur	2	Shujalpur	3
		Agar	2	Agar	1	Agar	2
		Susner	1	Susner	1	Susner	1
						Nalkheda	1
42	Sheopur	Sheopur	5	Sheopur	2	Sheopur	4
		Vijaypur	1	Vijaypur	1	Vijaypur	1
43	Shivpuri	Shivpuri	7	Shivpuri	2	Shivpuri	6
		Karera	3	Karera	2	Karera	3
		Pichhore	1	Pichhore	1	Pichhore	2
				Kolaras	2	Kolaras	2
				Pohari	1	Pohari	2
				Khaniadhana	2	Khaniadhana	1
44	Sidhi	Sidhi	5	Sidhi	3	Sidhi	4
		Majholi	1	Majholi	1	Majholi	1
				Churhat	2	Churhat	4
				Rampur Naikin	1	Rampur Naikin	1
45	Singrauli	Waidhan	7	Waidhan	4	Waidhan	7
		Deosar	5	Deosar	2	Deosar	3
						Sarai	1
46	Tikamgarh	Tikamgarh	5	Tikamgarh	4	Tikamgarh	6
		Jatara	2	Jatara	3	Jatara	2
		Niwari	2	Niwari	2	Niwari	2
				Orchha	1	Orchha	2
47	Ujjain	Ujjain	11	Ujjain	9	Ujjain	11
		Khachrod	2	Khachrod	1	Khachrod	1
		Mahidpur	4	Mahidpur	1	Mahidpur	4
		Badnagar	1	Badnagar	3	Badnagar	3
		Tarana	1	Tarana	1	Tarana	3
		Nagda	1	Nagda	1	Nagda	3
						Ghattiya	1
48	Umaria	Umaria	3	Umaria	4	Umaria	4
						Birsinghpurpali	2
						Manpur	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Vidisha	Vidisha	4	Vidisha	4	Vidisha	6
		Basoda	3	Basoda	3	Basoda	4
		Sironj	2	Sironj	2	Sironj	1
		Kurwai	1	Kurwai	1	Kurwai	1
		Lateri	1			Lateri	1
						Shamshabad	1
50	West Nimar Mandleshwar	Mandleshwar	4	Mandleshwar	1	Mandleshwar	2
		Khargone	6	Khargone	3	Khargone	4
		Barwaha	3	Barwaha	1	Barwaha	2
		Bhikangaon	1	Bhikangaon	1	Bhikangaon	1
				Kasrawad	1	Kasrawad	2
						Maheshwar	2
				Sanawad	2		

Jabalpur, the 23th November 2016

No.-B-5583.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Additional Chief Judicial Magistrates shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for hearing of cases relating to offences registered by the Special Tiger Strike Force Units (Constituted for protection of wild animals). The Headquarter of the said designated Courts shall be at their place of posting and their jurisdiction shall extend to the area of the Revenue District shown in Column No. (3) of the said table:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Judges (2)	Jurisdiction (3)
1.	Shri Rajendra Kumar Sharma, ACJM, Jabalpur.	Jabalpur, Seoni, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Mandla, Narsighpur, Katni.
2.	Shri Tapesh Kumar Dubey, ACJM, Indore.	Indore, Ujjain, Khandwa, Neemuch, Ratlam, Mandsaur, Dhar, Badwani, Khargone, Dewas, Burhanpur, Jhabua, Alirajpur.
3.	Shri Chandra Kishore Barpete, Hoshangabad.	Bhopal, Hoshangabad, Betul, Harda, Sehore, Vidisha, Raisen, Agar, Rajgarh.
4.	Shri Prashant Kumar, ACJM, Sagar.	Sagar, Shivpuri, Gwalior, Damoh, Guna, Sheopur, Bhind, Morena, Datia, Ashoknagar.
5.	Shri Dharmendra Kumar Singh, ACJM, Satna.	Rewa, Shahdol, Chhatarpur, Panna, Satna, Sidhi, Singrauli, Tikamgarh, Umaria, Anuppur.

Jabalpur, the 29th November 2016

No.-C-4689-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gangrape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Name of the Officer and designation (3)
1.	Datia	Shri Hitendra Dwivedi, I ASJ
2.	Jabalpur	Smt. Asha Godha, Special Judge under SC, ST (POA) Act.
3.	Mandla	Shri Ashish Kumar Mishra, III ASJ
4.	Tikamgarh	Shri Sunil Kumar, II ASJ

By order of the High Court
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.)

जबलपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. C-4691-तीन-6-4-81 भाग-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा

अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1207-तीन-6-4-81 भाग-छः, दिनांक 12 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हितेन्द्र द्विवेदी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया.	राजस्व जिला दतिया.	विशेष न्यायालय, दतिया.

No. C-4691-III-6-4/81 Pt. VI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1207-III-6-4/81 Pt-VI dated 12 April 2016, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:—

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Hitendra Dwivedi, Ist Additional Sesiions Judge, Datia.	Revenue District Datia.	Special Court Datia.

क्र. C-4693-तीन-6-4-81 भाग-छः.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (अधिनियम क्रमांक 36

सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-4853-तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 4 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुनील कुमार, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.	राजस्व जिला टीकमगढ़.	विशेष न्यायालय, टीकमगढ़.

No. C-4693-III-6-4/81 Pt. VI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-4853-III-6-4/81 Pt-V dated 4 September 2015, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:—

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Sunil Kumar, IInd Additional Sesiions Judge, Tikamgarh.	Revenue District Tikamgarh.	Special Court Tikamgarh.

VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.)